D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

File Number 5

Problem Solving

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सत्र – 2022–2023

कक्षा – एल.एल.बी. तृतीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर (न्यू कोर्स)

विषय : – 'Drafting, Pleading and Conveyancing'

प्रस्तुतकर्ता			मार्गदर्शक
नाम	–	शैलेश कुमार श्रीवास्तव	प्रो. प्रियंका मेन्डा
कक्षा	–	एल.एल.बी. तृतीय वर्ष	डी.पी. विप्र विधि
सेमेस्टर	–	द्वितीय सेमेस्टर	महाविद्यालय बिलासपुर छ.ग.
रोल नं.	–	14256	

INDEX

प्रारूपण, अभिवचन एवं हस्तांतरण लेखन

S.N.	TOPIC NAME AND NUMER	Questions	Page NO
1.	TOPIC NO 1	'अभिवचन' पद की व्याख्या कीजिये। अभिवचन के मौलिक नियम क्या है समझाइये?	1-5
2.	TOPIC NO 2	पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण किन आधारों पर किया जा सकता है?	6-10
3.	TOPIC NO 3	बंधक कितने प्रकार के होते हैं? एक सादा बंधक विलेख का प्रारूप तैयार कीजिये।	11-15 2 PAGE FORMATE
4.	TOPIC NO 4	हस्तांतरण लेखन से आप क्या समझते हैं? किसी विलेख का गठन करने वाले कौन-कौन से भाग होते हैं?	16-19
5.	TOPIC NO 5	अंतर बताइये :- (A) परिवाद और FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) (B) जाँच और अन्वेषण (C) संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध	20-23
6.	TOPIC NO 6	विक्रय विलेख से आप क्या समझते हैं? उसके कंपोनेंट्स (घटक) क्या हैं? अचल सम्पत्ति विक्रय विलेख का प्रारूप तैयार कीजिये	24-2[illegible] 2 PAGE FORMA[illegible]
7.	TOPIC NO 7	'जमानत' से आप क्या समझते हैं? जमानत आवेदन का प्रारूप तैयार कीजिये।	[illegible]
8.	TOPIC NO [illegible]	'रिट' से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के रिट होते हैं? [illegible]	

'अभिवचन' पद की व्याख्या कीजिये। अभिवचन के मौलिक नियम क्या है? समझाइये।

अभिवचन :- अभिवचन का वर्णन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 में किया गया है। अभिवचन का अर्थ है कोई वाद-पत्र एवं लिखित कथन। वाद पत्र किसी न्यायालय के सम्मुख दिया जाने वाला ऐसा वर्णन-पत्र होता है जिनमें वादी अपना वाद हेतु प्रस्तुत करता है अथवा लेखनबद्ध रूप में वाद को प्रस्तुत करता है और जिसका उद्देश्य ऐसे आधारों को न्यायालय के सामने रखना होता है जिन पर कि वादी कोई अपना अनुतोष पाने के लिये न्यायालय से सहायता चाहता है।

लिखित कथन प्रतिवादी का अभिवचन होता है, जिसमें वह वादी द्वारा वाद-पत्र में अभिकथित प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य से सम्बन्धित कथन करता है और किसी ऐसे नये तथ्य का भी कथन करता है जो कि उसके पक्ष का समर्थन करते हों तथा ऐसे वैध अभिवचनों का कथन करता है जिनका वह सहारा प्राप्त करता है।

इस प्रकार, वादी एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये कथन ही अभिवचन की श्रेणी में आते हैं। अभिवचनों में प्रस्तुत किये गये कथन लिखित होते हैं। इन अभिवचनों का मुकदमों के पक्षों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया

जाता है। बचाव की तरफ से प्रस्तुत किये गये कथन भी अभिवचन के अंग होते हैं।

महान् विधिवेत्ता श्री पी॰ सी॰ मोघा के अनुसार, "अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा लिखे एवं तैयार किये जाते हैं। उसमें उस बात का कथन किया जाता है कि परीक्षण में उसका क्या तर्क होगा और उसमें ऐसी समस्त बातों का विवरण रहेगा, जिनकी उसके प्रतिपक्षी को उत्तर में अपने पक्ष तैयार करने के लिये आवश्यक हो।"

अभिवचन के मौलिक नियम :-

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 2 के अनुसार, अभिवचन में उन तथ्यों को और केवल उन तथ्यों को जिनका कोई पक्षकार यथास्थिति अपने दावे या जवाब दावे के लिये सहारा लेता है, संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट ढंग से लिखा जायेगा किन्तु उस साक्ष्य को जिसके द्वारा ये तथ्य साबित होंगे नहीं लिखा जायेगा। अतः अभिवचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं —

1. प्रत्येक अभिवचन में तथ्य का कथन होना चाहिये :-

अभिवचन का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई अनावश्यक बातें न लिखी जायें। वाद-पत्र में सिर्फ उन तथ्यों का सारभूत कथन किया जाना चाहिये जिनसे कि वादी का मामला बनता है एवं उसकी रचना इस प्रकार करनी चाहिये जिससे कि दूसरा पक्ष यह जान ले कि उसको किस मामले का सामना करना है। अभिवचन में किसी पक्ष को अपने विपक्षी के चरित्र पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं होता और इस प्रकार के आक्षेप कानून की दृष्टि से वर्जित एवं अमान्य समझे जाते हैं। इस प्रकार के आक्षेप कानून की दृष्टि से वर्जित एवं अमान्य समझे जाते हैं। इस प्रकार की अनुचित बातें अभिवचन में नहीं लिखनी चाहिये।

2. तथ्य को साबित करने वाले साक्ष्य नहीं लिखने चाहिये :-

दूसरा नियम यह है कि अभिवचन में जिन तथ्यों का आधार लिया जाये उन्हीं को लिखना चाहिये और उन समस्त साक्ष्यों को जिनसे किसी तथ्य को साबित करना हो नहीं लिखना चाहिये क्योंकि वह तथ्य साक्ष्य सम्बन्धी तथ्य कहलाते हैं। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि किसी पत्र की स्वीकृति उस पक्ष के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है [illegible] अभिवचन में नहीं लिखना चाहिये।

3. अभिवचन में विधि नहीं लिखनी चाहिये केवल तथ्य लिखने चाहिये :-

अभिवचन में सिर्फ तथ्य लिखने चाहिये विधि नहीं। पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय में जो तथ्य साबित होते हैं उन पर कौन सा कानून लागू होगा यह देखना न्यायधीश का कार्य है। अभिवचनों में कानूनी तर्कों का लिखना अनुचित होता है।

4. तथ्यों का कथन संक्षेप में शुद्धता एवं निश्चितता के साथ किया जाना चाहिये —

अभिवचन का चौथा और अन्तिम नियम यह है कि प्रत्येक अभिवचन में महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन संक्षेप में किया जाये। अभिवचन - पत्र का प्रारूप यथेष्ट निश्चितता के साथ तैयार किया जाये जिससे विरोधी पक्षकार यह समझ सके कि उसको किस मामले का सामना करना है। महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन ठीक-ठीक एवं संगत ढंग से और संक्षेप में इस प्रकार किया जाना चाहिये कि स्पष्टतया से सुसंगत हो। अनावश्यक तथ्यों को छोड़ दिया जाना चाहिये। उपयोग की गयी भाषा सुन्दर होनी चाहिये —

निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखने से अभिवचन में यथार्थता प्राप्त की जा सकती है -

(1) व्यक्तियों एवं स्थानों का सही नाम, विवरण सहित किया जाना चाहिये।

(2) यथा सम्भव सर्वनाम का उपयोग न किया जाये।

(3) वादी एवं प्रतिवादी का निर्देशन उसके नाम से किया जाये।

(4) चीजों को उनके सही नाम से बताया जाये और एक वस्तु का निर्देश एक ही नाम से किया जाये।

(5) तथ्यों का कथन सरलता और स्पष्टतया से किया जाये।

(6) 'यदि' एवं 'परन्तु' शब्दों के प्रयोग से बचा जाये।

(7) वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिये।

(8) एक ही बात को बार-बार न दोहराया जाये।

(9) अभिवचनों को पैराग्राफों में विभक्त किया जाये और उन पर क्रम संख्या छोड़ी जाये।

(10) दिनांक एवं संख्यायें अंकों में व्यक्त की जानी चाहिये।

(11) अभिवचन-पत्रों को हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं सत्यापित होना चाहिये।

पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण किन आधारों पर किया जा सकता है?

पुनरीक्षण :- पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रावधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में अंकित है। धारा 115 के अनुसार, " उच्च न्यायालय किसी मामले के अभिलेख को, जो ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है और जिसमें अपील नहीं हो सकती, मंगा सकता है और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे न्यायालय ने -

(i) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि के द्वारा उनमें निहित नहीं है, अथवा

(ii) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल हुआ जो उसमें निहित नहीं, अथवा

(iii) अपने प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विधि-विरुद्ध रीति में कार्य किया है या सारभूत अनियमितता से कार्य किया है,

तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे

पुनरीक्षण का प्रारूप :-

पुनरीक्षण के प्रारूप को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

(i) शीर्षक एवं परिचयात्मक कथन
(ii) आपत्ति के आधार
(iii) अनुतोष।

(1) शीर्षक एवं परिचयात्मक कथन :-

इस भाग में जिस न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जाना है उसका नाम व स्थान दिया जायेगा, पुनरीक्षण संख्या व ई. (सन) दिया जायेगा जिस धारा एवं अधिनियम के अंतर्गत वह पुनरीक्षण होगा, उसका विवरण होगा। उसके पश्चात पक्षकारों के नाम एवं पते सहित पुनरीक्षण कर्ता एवं प्रतिपक्षीगण के विवरण क्रम से संख्यानुसार दिये जायेंगे।

(2) आपत्ति का आधार :-

इस भाग में आपत्ति के आधार क्रमशः उल्लिखित किये जायेंगे। पुनरीक्षण में उन आधारों को लिया जायेगा जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में उल्लिखित हैं, [illegible] अनुसार उच्च न्यायालय किसी की [illegible] अभिलेख [illegible] माँगा सकता है [illegible]

न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया हो तथा जिसमें अपील न होती हो और यदि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के विषय में यह जान पड़ता है कि उसने –

(क) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं था,

(ख) वह इस प्रकार निहित अर्थात प्राप्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल हो गया है।

(ग) उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधानिक रूप से या सारवान अनियमितता से कोई कार्य किया है।

(3) अनुतोष :- इस अतिरिक्त खण्ड में न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि आवेदन का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाये तथा अवर न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाये कि वह उचित साक्ष्य लेकर वाद का यथावत निर्णय करे।

पुनरीक्षण किन आधारों पर किया जा सकता है।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें उल्लिखित है कि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे में अभिलेख को

तथा यदि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के विषय में यह प्रतीत होता है कि उसने –

(क) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं था
(ख) वह उस प्रकार निहित अर्थात क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से विफल रहा है,
(ग) उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में वैधानिक रूप से या सारवार अधिनियमितता से कोई कार्य किया है
तो उच्च न्यायालय उस मुकदमे में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

परन्तु जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो तब तक उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्तियों की माँग नहीं की जा सकती –

(1) ऐसे मुकदमें का होना आवश्यक हो जिसका कि निर्णय हो चुका हो।

(2) जिस न्यायालय ने उस मामले का निर्णय किया है वह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ होना चाहिये।
(3) उक्त निर्णय उस प्रकार का होना चाहिये जिसकी कि अपील नहीं हो सकती हो।

(3) उक्त निर्णय इस प्रकार का होना चाहिये, जिसकी कि अपील नहीं हो सकती हो।

(4) ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि उस अधीनस्थ न्यायालय ने —

(क) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसको प्रदत्त नहीं था,

(ख) वह न्यायालय विधि द्वारा दिये गये क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विफल हो गया है।

(ग) उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में गैर-कानूनी रूप से सारवान् अनियमितता से कार्य किया है।

प्रीवी काउन्सिल ने अमीर हुसैन बनाम शिवसंग्रा, 9 I 357 के विवाद में इस बात पर जोर दिया था कि वहाँ "अधीनस्थ न्यायालय किसी प्रश्न का निपटारा करने का क्षेत्राधिकार रखता है वह गलत या सही निर्णय करने का क्षेत्राधिकार रखता है और वह गलत निर्णय क्षेत्राधिकार या सारतः अधिनियम प्रयोग द्वारा नहीं होता है।

साधारण बंधक का विलेख प्रारूप

यह बंधक विलेख दिनांक........ माह.......सन.......को श्री .... आत्मज .... आयु .... वर्ष निवासी .... (जिसे आगे 'बंधककर्ता' कहा गया है एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा.......... आत्मज ...... आयु.........वर्ष निवासी ....जिला.........(बंधकग्रहिता) के नाम को निष्पादित किया गया।

इस प्रथम पक्षकार का निम्नानुसार एक मकान जो मे....... रोड पर स्थित है और जिसका कि वह पूर्ण रूपेण स्वामी होकर उस पर उसका आधिपत्य है :-

बंधकित सम्पत्ति का विस्तृत विवरण

और चूंकि बंधककर्ता को कौटुम्बिक आवश्यकता के लिये रु. .....की आवश्यकता है जिससे बंधककर्ता अपने मकान को उक्त बंधकग्रहिता के पास बंधक रखकर प्राप्त करने का इच्छुक है एवं उक्त बंधक ग्रहिता भी उसके लिये सहमत है। अतएव यह विलेख साक्ष्यांकित करता है :-

(1) कि बंधककर्ता ने बंधकग्रहिता से रु.......प्राप्त कर अभिस्वीकृति एवं प्रतिभूति के स्वरूप अपनी सम्पत्ति बंधक ग्रहिता के पास बंधक रख दिया है एवं यह बंधक विलेख निष्पादित कर दिया है

(2) कि उक्त रकम को रु.......प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित बंधक ग्रहिता द्वारा मांग किये जाने पर बंधककर्ता अदा करेगा।

(3) कि बंधककर्ता द्वारा देय राशि को सर्वप्रथम ब्याज के लिये जमा किया जायेगा एवं शेष रकम को मूलधन से जमा किया जायेगा

(4) कि यदि बंधककर्ता उक्त रकम की अदायगी में चूक करे या अदा करने में असफल रहे तो बंधकग्रहिता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बंधकित संपत्ति का विक्रय कर अपने रकम को वसूल कर ले और उक्त बंधकित सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त धन अपर्याप्त हो तो वह बंधककर्ता की अन्य सम्पत्ति से उसे वसूल करेगा।

(5) कि बंधककर्ता उक्त बंधकित सम्पत्ति को बंधक [illegible] किसी अन्य किसी अंतरित नहीं [illegible] करेगा।

[illegible] बंधककर्ता बंधकग्रहिता को बंधक धन की अदायगी करने को बंधकग्रहिता द्वारा प्राप्ति की रसीद देकर बंधक मोचन का विलेख निष्पादित करेगा।

(५) कि बंधककर्ता यह भी करार करता है कि बंधकित संपत्ति पर शामिल करों तथा अन्य भुगतान का दायित्व [illegible] उसके चूक होने पर बंधकग्रहिता उनकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(६) कि बंधककर्ता एवं बंधकग्रहिता शब्द में उनके वारिस उत्तराधिकारी, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण

१. ....

२. ....

हस्ताक्षर ....
(बंधककर्ता)

हस्ताक्षर ....
(बंधकग्रहिता)

बंधक कितने प्रकार के होते हैं? एक साधा बंधक विलेख का प्रारूप तैयार कीजिये।

बंधक के प्रकार :- सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत 6 प्रकार के बंधक हैं जो निम्न हैं :-

(i) सादा बंधक
(ii) सशर्त विक्रय द्वारा बंधक
(iii) भोग बंधक
(iv) अंग्रेजी बंधक
(v) हक- विलेखों को जमा करके बंधक
(vi) विलक्षण बंधक

1. सादा बन्धक :- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 58 ख में सादा बन्धक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार " जहाँ कि बन्धककर्ता बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्रदान किये बिना- बन्धक धन चुकाने के लिये व्यक्ति अपने को आबद्ध करता है और प्रकट या अप्रकट रूप से अनुबन्ध करता है, कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बन्धक दार को बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आगमों को, जहाँ तक वह आवश्यक हो, बन्धक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा, वहाँ

और संव्यवहार सादा बन्धक कहलाता है।
[गोपाल पाण्डे बनाम पुरुषोत्तम दास, A.I.R. 1883, 5 इलाहाबाद 121]

2. **सशर्त विक्रय बन्धक** :- सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 ग में सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। धारा 58 ग के अनुसार, जहाँ बन्धककर्ता बन्धक सम्पत्ति का दृश्यतः विक्रय —

(i) इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बन्धक-धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यान्तिक हो जायेगा; अथवा

(ii) इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किये जाने पर विक्रय शून्य हो जायेगा; अथवा

(iii) इस शर्त पर कि क्रेता सम्पत्ति को विक्रेता को अन्तरित करेगा [उषा रानी बनाम जगबंधु देवनाथ, AIR 1955 त्रिपुरा 30]

वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक और बन्धकदार सशर्त विक्रय द्वारा बन्धकदार कहलाता है।

3. **भोग बन्धक** :- सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 घ में [illegible]

बन्धक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है।

धारा ५८ घ के अनुसार " जहाँ कि बन्धककर्ता बन्धक सम्पत्ति का कब्जा बन्धकदार को प्रदान कर देता है या करने के लिये अपने को प्रकट या अव्यक्त तौर पर आबद्ध कर लेता है और उसे प्राधिकृत करता है कि बन्धक धन की अदायगी किये जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधृत करे और उस सम्पत्ति से उत्पन्न भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज या बन्धक धन की अदायगी में भागतः ब्याज और भागतः बन्धक धन की अदायगी में विनियोजित कर ले वहाँ वह संव्यवहार भोग बन्धक कहलाता है।

४. **अंग्रेजी बन्धक :-** सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२ की धारा ५८ ङ. में अंग्रेजी बन्धक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। धारा ५८ ङ. के अनुसार " जहाँ कि बन्धककर्ता बन्धक धन का प्रतिसंदाय निश्चित तारीख को करने के लिये आबद्ध करता है और बन्धक सम्पत्ति को बन्धकदार को आत्यन्तिक रूप से किन्तु इस परन्तुक के अधीन अन्तरित करता है कि करार के अनुसार बन्धक धन को [illegible] पर बन्धकदार उसे बन्धककर्ता को [illegible] [illegible] संव्यवहार [illegible] है।

(5.) हक-विलेखों को जमा करके बंधक :-

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 च में हक विलेखों को जमा करके बन्धकों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। धारा 58 च के अनुसार जहाँ कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों में से किसी एक में और किसी भी अन्य नगर में जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे किसी लेनदार को, या उसके अभिकर्ता को स्थावर सम्पत्ति की हक की दस्तावेजों को उस सम्पत्ति पर प्रतिभूति सृष्ट करने के आशय से प्रदान करता है वहाँ ऐसा संव्यवहार हक विलेखों को जमा करके बन्धक कहलाता है। [वर्दन सेठ बनाम लकपती (1982) I.A. 306]

(6.) विलक्षण बन्धक :-

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 छ. में विलक्षण बन्धक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। धारा 58 छ के अनुसार "जो बन्धक इस धारा 58 के अंतर्गत सादा बन्धक, सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक, भोग बन्धक, अंग्रेजी बन्धक, या हक विलेखों को जमा करके बन्धक नहीं है वह विलक्षण बन्धक कहलाता है।

(7.) बंधक का [illegible] - प्रारूप :- P.T.O

हस्तांतरण लेखन से आप क्या समझते हैं ? किसी विलेख का गठन करने वाले कौन-कौन से भाग होते हैं ?

हस्तांतरण लेखन :- हस्तांतरण लेखन स्पष्ट शब्दों के पक्षकारों के आशय को स्पष्ट रूप से जानना है कि जिससे स्पष्ट हो जाये कि पक्षकार क्या चाहता है और कैसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति बिना विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किये हुये की जा सकती है।

हस्तांतरण लेखन जिसमें किसी सम्पत्ति का या उसमें के किसी हित का हस्तान्तरण अन्तरक और अन्तरिति के बीच किसी संविदा के अंतर्गत होता है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 2 (10) के अनुसार हस्तान्तरण लेखन से अभिप्राय एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को चल या अचल सम्पत्ति के अन्तरण से है। चूंकि अकि हस्तान्तरण का कार्य किसी विलेख द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिये ऐसे विलेख का निर्माण दूसरे प्रकार के हस्तान्तरण से या पक्षकारों से संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकार व दायित्व से होता है। हस्तान्तरण लेखन शब्द में वे सभी संव्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा कानूनी अधिकार उत्पन्न होते हैं और व्यक्तियों के बीच कानूनी

सम्बन्ध की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अभिहस्तांतरण लेखन का अभिप्राय है कि उससे यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किन परिस्थितियों में और किन अनुबन्धों सहित संविदा करने वाले व्यक्तियों का किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों तथा दायित्वों में परिवर्तन हुआ।

विलेख का गठन करने वाले भाग

कोई भी दस्तावेज जिसके द्वारा अन्तरण की कार्यवाही की जाती है, विलेख कहलाता है। विलेख अन्तरण का एक साक्ष्य होता है

विलेख के आवश्यक भाग :-

(1) विलेख का वर्णन
(2) विलेख की तारीख
(3) विलेख के पक्षकार
(4) आख्यान
(5) प्रवर्तनशील भाग
(6)

(1) विलेख का वर्णन :- साधारणतया विलेख के ड्राफ्ट का आरम्भ उसका नाम देकर जैसे 'यह विक्रय विलेख' से किया जाता है। इस नाम का चुनाव बड़ी सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये तथा उसे अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये।

2. विलेख की तारीख :- विलेख के नाम के पश्चात तथा अन्त में हस्ताक्षर से पहले उसके निष्पादन की तारीख लिखनी चाहिये। यदि विलेख के लागू होने की कोई अन्य तारीख नहीं दी जाती है तो निष्पादन की तारीख को ही विलेख के लागू होने की तारीख मान लिया जायेगा। इस तारीख, माह एवं वर्ष को शब्दों में लिखा जाना चाहिये।

3. विलेख के पक्षकार :- पक्षकारों के नाम लिखने की दो रीतियाँ होती हैं। एक रीति के अनुसार, संव्यवहार के एक पक्ष द्वारा विलेख को लिखा जाता है तथा दूसरा पक्ष जिसके हित में लिखा जाता है, विलेख को स्वीकार करता है। दूसरी रीति के अनुसार, संव्यवहार के समस्त पक्षों की ओर से विलेख को लिखा जाता है और प्रत्येक पक्ष विलेख को हस्ताक्षरित करता है। यह दूसरी विधि अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त समझी जाती है।

4. आख्यान :- इसका आरम्भ सामान्यतया 'चूंकि' शब्द से किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्णित विलेख के इतिहास का वर्णन सही ढंग से प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

5. परिवर्तनशील भाग - विलेख का यह भाग इसके क्रियात्मक भाग का स्वतन्त्र...

भाग होता है और सामान्यतः यह इन शब्दों से प्रारम्भ होता है। अब यह विलेख साक्ष्यांकन करता है कि इसमें उस प्रतिफल का उल्लेख किया जाता है जिसके लिये अन्तरण किया जाता है।

विलेख के इस भाग के निम्नलिखित उपभाग हैं:-

(i) प्रभावी शब्द
(ii) हस्तान्तरित सम्पत्ति का विवरण
(iii) सम्पत्ति पर भार का विवरण (वर्णन)
(iv) अपवाद तथा आरक्षण
(v) प्रसंविदाएँ
(vi) साक्ष्य
(vii) हस्ताक्षर एवं प्रमाणीकरण

अंतर बताइये :-

(A) परिवाद और FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(B) जाँच और अन्वेषण
(C) संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध

(A) परिवाद और FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

परिवाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर है —

(1) परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट सदैव पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष की जाती है।

(2) परिवाद सदैव असंज्ञेय अपराध को किये जाने की बाबत किया जाता है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध कारित किये जाने के बाबत की जाती है।

(3) परिवाद की दशा में पुलिस अधिकारी मामले में अन्वेषण का कार्य तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट मामले में अन्वेषण की अनुज्ञा न दे, इसके विपरीत संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी दायर की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर स्वयं मामले में अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर सकता है।

यदि अपराध के आधार पर कार्यवाही की जाती है तो अधिकृत को उस अधिकार होता है तो वह उसे उस मामले को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ स्थानांतरित भेजा जाता है।

(e) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है –

(i) किसी राज्य के सम्बन्ध में, जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय

(ii) किसी राज्य के सम्बन्ध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय

(iii) किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, उस संघ राज्य क्षेत्र के लिये दाण्डिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय।

(B) जाँच और अन्वेषण :-

जाँच तथा अन्वेषण में निम्नलिखित अंतर है –

(1) जाँच का कार्य मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा किया जाता है जबकि अन्वेषण का कार्य पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) जाँच का उद्देश्य ऐसे किसी प्रश्न का निर्धारण करना है जो कि मामले के आपराधिक [illegible] के सम्बन्ध में सत्य या असत्य [illegible]

निर्दोषिता के निर्धारण से सम्बन्धित है। उसके विपरीत अन्वेषण का उद्देश्य जाँच एवं अन्वेषण के प्रयोजनार्थ साक्ष्य संग्रहण करना होता है।

(3) जाँच में परीक्षणाधीन व्यक्तियों की जाँच की अवस्था में शपथ दिलायी जा सकती है। जबकि अन्वेषण की अवस्था में परीक्षणाधीन व्यक्ति की शपथ पर प्रतिज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।

(झ) "न्यायिक कार्यवाही" के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है।

(C) संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में निम्नलिखित अंतर है —

(1) संज्ञेय अपराध घातक स्वरूप के होते हैं उसके विपरीत असंज्ञेय अपराध अधिक घातक प्रकृति के नहीं होते हैं।

(2) संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है किन्तु असंज्ञेय अपराध की दशा

जो पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

(3) संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार-साधक अधिकारी को की जाती है जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में अपराध के घटित होने के बारे में तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।

(4) संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ कर सकता है। जबकि असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी मामले के अनुसंधान का कार्य मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकता है।

विक्रय विलेख से आप क्या समझते हैं? उसके कंपोनेंट्स (घटक) क्या हैं? अचल सम्पत्ति के विक्रय विलेख का प्रारूप तैयार कीजिये।

विक्रय विलेख:- विक्रय विलेख, बिक्री अधिनियम पंजीकरण अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, और एक सम्पत्ति की खरीद या विक्रय करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें कम से कम दो गवाहों के सामने खरीददार और विक्रेता दोनों द्वारा विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, और इसके बिना किसी भी सम्पत्ति का खरीदा या बेचा जाना पूरा नहीं होता है।

विक्रय विलेख, या संवहन विलेख वह है, जो किसी संपत्ति के विक्रय के समय तैयार किया जाता है। यह एक दस्तावेज है, जो किसी भी विक्रय को पूरा करता है। विक्रय विलेख के माध्यम से, विक्रेता खरीददार के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकारों को हस्तांतरित करता है।

एक बार जब दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाता है, और इसे सत्यापित करने के लिये उस पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, तो मालिकाना हक पूरी तरह से सौदे में खरीददार को हस्तांतरित हो जाता है।

बिक्री विलेख का अर्थ एक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है जो बिक्री के नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है।

[illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] किया जाता है। [illegible] के लिए [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] तथा [illegible] का [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] करता है।

[illegible] विभाग के प्रमुख [illegible]

इसके प्रमुख निम्नलिखित [illegible] हैं:-

(i) [redacted] [illegible]
(ii) [redacted] [illegible]
(iii) [redacted] [illegible]
(iv) [illegible]
(v) [illegible]
(vi) [illegible]
(vii) [illegible]
(viii) [illegible]
(ix) [illegible]
(x) [illegible]

विक्रय-पत्र का प्रारूप

यह विक्रय पत्र दिनांक....... माह..... सन ..... को श्री.... .... निवासी .... (जिसे आगे विक्रेता कहा गया है) एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा.................. आत्मज.......... आयु.......वर्ष निवासी .... (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है के बीच.......(ग्राम/शहर का नाम) में निष्पादित किया गया।

उक्त प्रथम पक्षकार का मकान है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, और जिसका कि वह पूर्ण रूपेण स्वामी होकर उसका अधिपत्यधारी है।

अनुसूची

(विक्रय किये गये मकान का पूर्ण विवरण)

और चूंकि प्रथम पक्षकार को .... लिये रुपयों की..... आवश्यकता है एवं अपनी संपत्ति को बेचकर उक्त रकम प्राप्त करने की द्वितीय पक्षकार से इच्छा व्यक्त की, जिस पर वह सहमत हो गया।

अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है :-

(1) कि उक्त क्रेता ने विक्रेता को मकान के हस्तांतरण के प्रतिफल-स्वरूप रु.........की राशि के रूप में दिनांक .... को अदा कर दी है जिसे विक्रेता ने स्वीकार कर लिया है तथा शेष राशि........रु उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज के पंजीयन के समय नगद में भुगतान की जायेगी।

(2) कि मकान सभी प्रकार के भार एवं अधिभारों से मुक्त है तथा भविष्य में उस सम्पत्ति के......स्वत्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद के लिये स्वयं विक्रेता उत्तरदायी होगा।

(3) कि विक्रय-पत्र के निष्पादन के दिनांक से उक्त मकान का क्रेता पूर्ण रूप से मालिक एवं काबिज हो गया है एवं वह स्वयं उसका उत्तराधिकारी, दायाद, प्रशासक, अभिहस्तांकिती उसका उपयोग कर सकेंगे, जिसमें विक्रेता उसका दायाद, प्रशासक, उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

(4) कि विक्रय-पत्र के निष्पादन की दिनांक से ... उक्त मकान किसी को भी संपत्ति ... हस्तांतरित ... सकेगा एवं दे सकेगा।

(5) भविष्य में उक्त मकान पर आरोपित सभी प्रकार के करों का भुगतान क्रेता स्वयं करेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण

(1) ....

(2) ....

हस्ताक्षर ....
(विक्रेता)

हस्ताक्षर ....
(क्रेता)

'जमानत' से आप क्या समझते हैं? जमानत आवेदन का प्रारूप तैयार कीजिये।

जमानत :- "जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिये न्यायालय में जो सम्पत्ति जमा की जाती है या फिर देने की शपथ ली जाती है उसे जमानत कहते हैं।

जमानत आपराधिक न्यायशास्त्र के विवरणों में से एक है और दुनिया भर में अधिकांश कानूनी सम्बन्ध के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त करने की प्रथा है। भारत में जमानत की अवधारणा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में समझाया गया है.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 जमानत को परिभाषित नहीं करती है हालांकि जमानत शब्द का अर्थ आमतौर पर एक अपराध में अभियुक्त की रिहाई के बाद होता है, जब वह अदालत द्वारा लगायी गयी शर्तों का पालन करने से और अदालत के समक्ष उपस्थित मुकदमा चलाने के लिये जमानत देता है।

अग्रिम जमानत :- आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह गैर-

जमानती या जमानती अपराध में गिरफ्तार हो सकता है, वह जमानत पाने के लिये गिरफ्तारी से पहले अदालत पहुँच सकता है।

अग्रिम जमानत के लिये आवेदन केवल सत्र- न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। आरोपी अपने वकील के साथ संबंधित अदालत में अग्रीम जमानत के लिये संबंधित हलफनामें, प्राथमिकी की प्रति और आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा की फाइल लगायेगा।

अग्रिम जमानत देने से पहले विचार करने वाले कारक :-

- आरोप की प्रकृति और गंभीरता
- आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड
- आवेदक के न्याय से भागने की संभावना
- जहां आवेदक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया है : अदालत या तो आवेदन को तुरंत खारिज कर सकती है या अग्रिम जमानत देने के लिये अंतरिम आदेश जारी कर सकती है।

अग्रिम जमानत देने के बाद न्यायालयों द्वारा लगायी गयी शर्तें :-

- जब भी आवश्यकता हो, व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिये खुद को उपलब्ध करायेगा।

- वह व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये मामलों के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन धमकी या वादा नही करेगा।

- व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नही छोड़ेगा।

धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश :-

(1) जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के तहत निर्देश के लिये उच्च-न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय यदि उचित समझे निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के तहत एक निर्देश देता है तो इसमें विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में कुछ निर्देशों को शामिल किया जा सकता है।

जमानत के प्रारूप

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बिलासपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या /2023

स्टेट बनाम रवीन्द्र नाथ
अंतर्गत धारा 380 आई.पी.सी.

प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

(1) यह कि प्रार्थी निर्दोष है।

(2) यह कि प्रार्थी ने कोई जुर्म जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित है नहीं किया है।

(3) यह कि जिस तारीख व समय की घटना बतायी जाती है उस तारीख व समय को प्रार्थी बिलासपुर से 7 किलोमीटर दूर बाहर सेन्दरी में उधम सिंह नगर इलाके में था।

(4) यह कि परिवादी द्वारा दुश्मनी वश प्रार्थी को फंसा दिया गया है।

(5) यह कि हम प्रार्थी अच्छे चाल-चलन के प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा समाज में उसकी काफी प्रतिष्ठा है तथा मुकदमे की पैरवी करने के लिये सेवाये उसके कोई नही है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावें

दिनांक
स्थान

अधिवक्ता वास्ते
आवेदक/अभियुक्त

आवेदक/अभियुक्त
रविन्द्र नाथ
पुत्र [illegible]
सरकण्डा थाना [illegible]

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सत्र – 2022–2023

कक्षा – बी. ए. एल एल.बी. नवम् सेमेस्टर

(पंचम् प्रश्न–पत्र के सत्रीय कार्य हेतु)

विषय : "Moot Court Exercise and Internship"

प्रस्तुतकर्ता

नाम – हिमांशु आनंद

कक्षा – बीए.एलएलबी

सेमेस्टर – 9th semester

रोल नं. –

मार्गदर्शक

प्रो. गगन उपाध्याय

डी. पी. विप्र विधि

महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

MOOT COURT (मूट कोर्ट)

(मूट कोर्ट का अर्थ / अवधारणा) Meaning Concept of Moot Court]

मूट कोर्ट का अर्थ :- मूट कोर्ट से अभिप्राय विधि के विद्यार्थियों के लिए बनावटी न्यायालय का गठन करना तथा किसी काल्पनिक मामले पर न्यायालय चलाना है। जिसमें किसी काल्पनिक वाद पर एक प्रकार का वाद - विवाद होता है जिससे विद्यार्थियों को न्यायालय की प्रक्रिया का ज्ञान होता है तथा न्यायालय में पैरवी करने का साहस भी बनता है।

मूट की अवधारणा :- मूट कोर्ट जिसमें विद्यार्थियों से कृत्रिम रचे गये न्यायालय के समक्ष विधि के बिंदुओं पर बहस करने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधिक बहस को तैयार करते एवं उसे प्रस्तुत करने में अपनी समस्त कुशलता का प्रयोग करेंगे। कृत्रिम न्यायालय में हिस्सा लेना न केवल विधिक कुशलता का विकास करती है, बल्कि वाद को प्रस्तुत करने उस पर अपनी अभिव्यक्ति देने के योग्य भी बनाती है साथ में छात्रों को कोर्ट के सामने

बोलने का आत्म-विश्वास भी पैदा होता है। एक सफल अधिवक्ता के लिए भाषा का अच्छा ज्ञान, उसे अभिव्यक्त करने की कला, कानून का अच्छा ज्ञान, उसे स्पष्टतः समझने एवं तत्काल किसी विषय-मामले पर कार्य करने की योग्यता का विकास उत्पन्न करता है। छात्रों के अन्दर ऐसे गुण अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं।

कृत्रिम न्यायालय में छात्रों के हिस्सा लेने से उन्हें अदालत में कमरे के शिष्टाचार एवं अपने पक्ष में बहस करने की योग्यता का विकास होता है। ये सभी गुण विधिक व्यवसाय में सफल होने हेतु नितान्त आवश्यक है।

मूट कोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कर्तव्यों का भी ज्ञान हो जाता है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करेंगे। अधिवक्ता एक तरह से न्यायालय के अधिकारी होते हैं वे वाद से सम्बन्धित मैटर उपलब्ध करते हैं और तद्द्वारा विशुद्ध निर्णय पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करते हैं। अतः वे कोर्ट के प्रति आत्यन्तिक रूप से निष्ठ होने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अधिवक्ता को चापलूस नहीं होना चाहिए और

यदि किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत का समुचित आधार उपलब्ध हो तो अपनी व्यथा को समुचित अधिकारियों तक पहुंचाना न केवल उनका अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है। न्यायालय के प्रति अधिवक्ताओं के बहुत से कर्तव्यों को भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संहिताबद्ध किया गया है तथा उनका उल्लंघन व्यावसायिक कदाचार समझा जाता है और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे दण्डित किया जाता है। वास्तव में आत्मसंयम तथा न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण, संतुलित मस्तिष्क के साथ तथा अतिरंजित कथन, दमन विकृतिकरण अथवा प्रशोमन के बिना विशुद्ध तथ्यों एवं विधि का प्रस्तुतीकरण अच्छी वकालत की अपेक्षाएं है। इन गुणों को केवल अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकेगा और मूट कोर्ट का गठन विधार्थियों को इस प्रकार का अवसर प्रदान करता है।

अधिवक्ताओं द्वारा मुवक्किल से सद्व्यवहार करना भी एक कला होती है और जिसे अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल से सद्व्यवहार करते समय अधिवक्ता का निष्पक्ष एवं ईमानदार होना अत्यन्त जरूरी है। उसे किसी वाद को

सफलता की संभावनाओं का ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन करना चाहिए और तद्नुसार मुवक्किल को सलाह देनी चाहिए।

मूट कोर्ट का महत्व : मूट कोर्ट (आभासी) न्यायालय में भागीदारी व्यवहारिक कुशलता का विकास करती है। इसमें विधि के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का विकास होता है। यह विधि व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह विद्यार्थियों को वाद को या वाद को तैयार करने तथा लिखित कथनों और बहस के बिन्दुओं को तैयार करने के अतिरिक्त आरोपों आदि को करने का अवसर प्रदान करता है।

मूट कोर्ट में भागीदारी न केवल विधिक कुशलता का विकास करती है बल्कि वाद प्रस्तुत करने की कुशलता का भी विकास करती है। इसमें विद्यार्थी अनुनय करने की कला विकास में भी इसमें लोगों के सामने बोलने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।

मूट कोर्ट से विद्यार्थियों में अदालत के कमरे में शिष्टाचार के साथ अपने पक्ष पर बयान करने की योग्यता का विकास होता है। इसमें भागीदारी द्वारा विद्यार्थियों

से विधिक विवादों को पहचानने, विधिक सामग्री एकत्र, बहस की तैयारी करे बिना उत्तेजित हुए बिना बहस करने तथा न्यायालय अथवा विरोधी पक्ष से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता विकसित होती है। ये गुण विधि व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

मूट कोर्ट में भाग लेकर विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कर्त्तव्यों का भी ज्ञान हो जाता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करेंगे अधिवक्तागण वाद से सम्बन्धित सामग्री संग्रह करते हैं तब द्वारा विशुद्ध निर्णय पर पहुंचने पर न्यायालय की सहायता करते हैं वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं।

वादों को दृष्टान्त स्वरूप प्रस्तुत करना एक कला है तथा यह कला वाद को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कम से कम महत्वपूर्ण वादों को पेश करना अधिक समझा जाता है। मुवक्किल से संव्यवहार करना भी एक कला है।

उपरोक्त एवं न्यायालयों की कार्यवाही के अलावा मुवक्किल तथा न्यायार्थियों के

साथ अधिवक्ताओं के संव्यवहार का सावधानीपूर्वक अवलोकन करके प्राप्त किया जा सकता है।

मूटकोर्ट के आयोजन या संचालन की विधि

(1) काल्पनिक विधिक मामला :- मूट कोर्ट को संचालित करने की सबसे विशेष पद्धति कृत्रिम मामले को तैयार करना और विद्यार्थियों का एक समूह एक पक्ष तथा विद्यार्थियों के दूसरे समूह को दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। यह वह कैसा भी वाद हो सकता है। जैसे कि सिविल या आपराधिक मामला या रिट याचिका भी हो सकती है प्रत्येक मामले में विद्यार्थियों को ठीक वैसा ही संचालन करना चाहिए जैसे कोई अधिवक्ता कोर्ट में अपने मुवक्किल का वाद संचालित करता है। विद्यार्थियों के पहले पक्ष को वाद पत्र तैयार करने को कहा जाना चाहिए।

यदि वह वादी का प्रतिनिधित्व करता है। तथा दूसरे पक्ष को जो कि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करता है लिखित कथन तैयार करना चाहिए। रिट याचिका में विद्यार्थियों को याचिका प्रारूपित करने के लिए कहा

जाना चाहिए और प्रतिपक्षी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों से याची के तर्कों का वितर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए। जिससे उसकी याचिका खारिज की जा सके। दाण्डिक मामलों में परिवाद लेखन, दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों अन्तर्वलित विधिक विवाधकों की अवधारणा, विवाधकों पर सामग्री का संग्रह तथा अन्तिम बहस पर बल दिया जाना चाहिए। सिविल वादों में वाद वादपत्र के पेश किये जाने से प्रारम्भ होता है। वादपत्र में न्यायालय का नाम, वादी एवं प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, वाद-हेतु को गठित करने के तथ्य और वाद कब उद्भूत हुआ, दावाकृत अनुतोष, क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय शुल्कों, आदि के प्रयोजनार्थ वाद की विषय-वस्तु का मूल्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वाद-पत्र के दाखिल किये जाने के पश्चात् वह पक्षकार जिसके अधीन वाद दाखिल किया जाता है, वादपत्र में बताये गये तथ्यों को स्वीकार करने अथवा उनका प्रत्याख्यान करने और अपना निजी वाद पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जिसे लिखित कथन कहा जाता है।

सही मायने में वाद-पत्र को प्रारूपित करना

Bhatia Enterprises Ph. 403063

रूप कहा है वाद-पत्र ऐसा प्रदर्शित होना चाहिए जो स्पष्ट स्थिति को बतलाता है और तथ्यों की खिचड़ी नहीं पकाता जिसे समझना कठिन हो। इसे छोटे-छोटे पैराग्राफों में बांट कर मुख्य तथ्यों को लिखना चाहिए और घटनाओं और तारीखों के अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए। वाद, हेतुक, उसका स्थान, तारीख तथा वह तथा जो समयावधि के भीतर है मूल्यांकन तथा दावाकृत अनुतोष को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

अधिवक्ता का वाद पर बहस वाद को जीतने में प्रमुख भूमिका निभाता है जो कि अनुभव एवं अभ्यास द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। बहस की तैयारी के लिए, बहस करने वाले व्यक्ति को पक्षकारों के अभिवचनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसे साक्षियों द्वारा किये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों की स्वीकृतियों एवं प्रत्याख्यानों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बहस के दौरान सबसे प्रबल बिन्दुओं पर ही विशेष जोर देना चाहिए। जिससे न्यायालय को समझने में कठिनाई न हो।

(२) निर्णीत मामला : न्यायालय द्वारा किसी निर्णीत मामले का चयन करके भी मूट कोर्ट गठित एवं संचालित की जाती है जिसमें विद्यार्थियों के एक समूह को वाद में निर्दिष्ट सिद्धान्त के पक्ष में बोलने के लिए कहा जाना चाहिए और दूसरे समूह से उक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध बोलने के लिए कहा जाना चाहिए और दूसरे समूह से उक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध बोलने के लिए कहा जाना चाहिए अर्थात विनिर्णय में दोनों को बताना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों से एक निर्धारित समय में बोलने के लिए कहा जाना चाहिए तथा प्रत्येक पक्ष को लिखित निवेदन दाखिल करने चाहिए तथा कारण बताते हुए दूसरे पक्ष के तर्कों का प्रत्युत्तर देना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को अपने मत के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त समय देना चाहिए। उनसे विधि पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को पढ़ने और बहस के बिन्दुओं को तैयार करने की अपेक्षा की जायेगी जिससे उनकी विधिक बिन्दुओं पर बहस करने की क्षमता का विकास हो सके। मूट कोर्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हावभाव के साथ ही उनके बोलने एवं बहस के ढंग पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के विचारों या निर्णय की आलोचना

करने में भाषा नम्र एवं शिष्ट होनी चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधीशों के निर्णय की आलोचना की जानी चाहिए न कि उन न्यायाधीश के आचरण की जिसने निर्णय को दिया था। मूट कोर्ट में हर विद्यार्थी को स्वयं का लिखित तर्क दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि किसी पक्ष में एक से अधिक विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक् रूप से अपना तर्क दाखिल करना चाहिए।

(ऊ) विनिर्दिष्ट विधिक विषय पर मूट कोर्ट :— किसी विनिर्दिष्ट विधिक विषय का चयन किया जा सकता है और विद्यार्थियों से सामग्री एकत्र करने अपने लिखित पत्र दाखिल करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर बोलने के लिए कहा जा सकता है जिससे कि वे अपने तर्कों को स्पष्ट कर सकें। मूट कोर्ट में प्रस्तुत विद्यार्थियों अध्यापकों आदि द्वारा उन्हें प्रश्न किये जा सकेंगे। विद्यार्थियों को समूहों में विभक्त किया जाना चाहिए और एक ही समूह के विद्यार्थियों को सामग्री एकत्र करने और सामूहिक रूप से बहस तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए।

Memorial (मेमोरियल)

(1) Concept of Memorial (मेमोरियल की अवधारणा)

(1) एक मेमोरियल या ज्ञापन न्यायाधीश को पार्टी की ओर से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(2) इसमें में वे विवाद शामिल हैं जिन्हें न्यायालय में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(3) मेमोरियल एक सीमित प्रारूप का अनुसरण करता है।

(4) इसकी भाषा कानूनी है और इसमें ऐसे तथ्य और प्रासंगिक मामले शामिल हैं जो तैयार किए गए तर्कों का समर्थन करते हैं।

कोर्ट मेमोरियल को कानूनी दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक लिखित सबमिशन है कि टीमें मामलों और संदर्भित पुस्तकों, न्यायालयों के बयानों, मांगों के तर्कों, मामले के तथ्यों और प्रार्थना जैसे विवरणों को शामिल करने के

लिए तैयार करती है। मूटकोर्ट में सौंपे गए मामले आमतौर पर ऐसे मामले होते हैं जो या तो काल्पनिक मामले होते हैं। या वे मामले जो पहले से ही तय किए जा चुके होते हैं।

(2) Format of Memorial (मेमोरियल का प्रारूप)

(1) COVER PAGE :- मेमोरियल के प्रत्येक लिखित प्रस्तुतीकरण के कवर पेज में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए,

(1) फोरम (न्यायालय) का नाम जिसके समक्ष कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रस्तुत मामले का नाम,

(3) प्रस्तुत पार्टियों का नाम,

(4) मेमोरियल का शीर्षक (वादी या याचिकाकर्ता या अपीलकर्ता की ओर से जमा किया गया मेमोरियल या प्रतिवादी या प्रतिवादी की ओर से जमा किया गया मेमोरियल फाइल है।

(5) कवर पेज को अलग - अलग रंगो में प्रस्तुत किया गया है जो यह पहचानने की अनुमति देता है कि वादी / याचिकाकर्ता कौन है नील रंग का प्रयोग वादी / याचिकाकर्ता द्वारा और लाल रंग प्रतिवादी / प्रतिवादी के लिए किया जाता है।

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बिलासपुर (छ.ग.)

ABC - - - - - - - - - - - - अभियोजन

विरुद्ध

XYZ - - - - - - - - - - - - - अभियुक्त

(प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत ज्ञापन)

(2) TABLE of CONTENT (विषयसूची) :- यह सूची व्यवस्थित रूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मेमोरियल की सामग्री का उल्लेख किया गया है। यह सूची प्रत्येक पृष्ठ पर उनके संबंधित पृष्ठ संख्याओं के साथ शीर्षकों और शीर्षकों को दर्शाता है।

(3) LIST OF ABBREVIATIONS (संक्षेपाक्षर)

इसमें प्रयुक्त सभी संक्षिप्ताक्षरों को शामिल करना चाहिए। प्रत्येक संक्षिप्त नाम में पूरा अर्थ होना चाहिए। पूरे मेमोरियल में समान संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करें।

⇒ All : Allahabad
⇒ AIR : All India Reporter
⇒ A.P : Andhra Pradesh
⇒ BOM. : BOMBAY
⇒ Cal. : Calcutta
⇒ Del. : Delhi
⇒ GUJ. : Gujarat
⇒ HC : High Court
⇒ J&K : Jammu and Kashmir
⇒ Ker. : Kerala
⇒ M.P : Madhya Pradesh
⇒ Raj : Rajasthan
⇒ SC : Supreme Court
⇒ SCC : Supreme Court Cases

(4) INDEX of Authorities (अधिकारियों का सूचकांक)

यह उन अधिकारियों की सूची है जिन्हें आपके सौंपे गए मामले के लिए संदर्भित किया है। इसमें उद्धृत मामलों की सूची, कानून आयोगों की रिपोर्ट, संदर्भित पुस्तकें

Topic ______ Date: ______ Page 15

संसदीय बहसें, टिप्पणियां और मेमोरियल में किए गए विवादों का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री शामिल है।

Books (पुस्तकें) :- विभिन्न पुस्तकें

⇒ प्रो. सूर्य नारायण मिश्रा भारतीय दण्ड संहिता 1860, सेंट्रल लॉ एजेंसी।

⇒ डॉ. बसन्ती लाल बाबेल, भारतीय दण्ड संहिता 1860, सेंट्रल लॉ एजेंसी।

⇒ एस. पी. सेन. गुप्ता, साक्ष्य विधि 1944 कमल लॉ हाउस, कलकत्ता।

⇒ रतन लाल एवं धीरज लाल, साक्ष्य विधि 22 वां. संस्करण, 2006, वाधवा एण्ड कम्पनी नागपुर।

⇒ डॉ. अवतार सिंह, साक्ष्य विधि 2018 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।

⇒ वीणा. पी. सारवी साक्ष्य विधि, 6th संस्करण, 2006 ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ।

Bhatia ENTERPRISES Ph. 403063

LIST OF CASES (मामलो की सूची)

(1) गुरुबख्श सिंह V/S पंजाब राज्य, AIR 1980. S.C. 1632.

(2) नारायण स्वामी V/S सम्राट. AIR. 1939. PC. 47.

(3) चुन्नी लाल V/S यूनियन ऑफ इंडिया A.I.R 1964. HP. 27.

(4) धरमा V/S राज्य. AIR 1966. Raj. 24.

(5) ओम प्रकाश V/S उत्तर प्रदेश राज्य. A.I.R 1960. SC 409.

LIST OF STATUTES (विधान की सूची)

(1) दं० प्रक्रिया संहिता, 1973

(2) भारतीय दं० संहिता, 1872

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(4) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

(5) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963.

websites

⇒ https://www.//blog.ipleaders.in.
⇒ http://www.legalindia.in/confession-statement-to-police-is-weak-evidence-supreme-court.

(5) Statement of Jurisdiction (न्यायालय का क्षेत्राधिकार)

इसका मतलब है कि कौन सी अदालत आपके मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम है। कारण सहित न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। उचित अधिकार क्षेत्र चुनना बहुत महत्वपूर्ण है।

अपीलकर्ता (राज्य) ने एक तरफ, और प्रतिवादी (रमेश) ने दूसरी के तहत अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार मामले में सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया है। इसलिए दोनों पक्षों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है।

(6) Statement of the facts (तथ्यों का विवरण)

यह मेमोरियल का वह हिस्सा है जो प्रतिनिधित्व की जा रही पार्टी की स्थिति की व्याख्या करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सारांश में केवल प्रासंगिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत

किया जाना चाहिए। यह दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल दिए गए तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जो उनके मामले का समर्थन करते हैं।

(7) Statement of issues (मुद्दों का बयान)

यह कानूनी मुद्दों या मामले में शामिल कानून के बिंदुओं का एक संक्षिप्त परिचयात्मक बयान है। यह न्यायाधीशों को सटीक रूप से बताता है कि व्यक्ति अदालत से कौन से कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेना चाहता है। इन बयानों को एक विशेष निष्कर्ष के लिए बहस करने में मदद करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, न कि केवल दूसरे पक्ष के खिलाफ।

(8) Summary of the arguments (तर्कों का सारांश)

जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह मामले में दिए गए तर्कों का संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें केवल उठाए जा रहे मुद्दों का जिक्र होना चाहिए। यह उठाए गए मुद्दों पर आधारित तर्कों का एक संक्षिप्त सारांश है।

(9) ADVANCED ARGUMENTS (तर्क)

यह मेमोरियल की आत्मा है। तर्क के हर हिस्से को कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित होना चाहिए। तर्क सुव्यवस्थित और आश्वस्त करने वाले होने चाहिए। प्रत्येक बिंदु जो टीम चाहती है कि अदालत इस मामले पर विचार करे, उसका वर्णन किया जाना चाहिए, उपयोग की गई शोध सामग्री के उपयुक्त संदर्भों के साथ कारणों की व्याख्या की जानी चाहिए, और टेक्स्ट उद्धरणों को जितनी बार आवश्यक हो डाला जाना चाहिए।

(10) Conclusion / Prayer (निष्कर्ष / प्रार्थना)

यह मेमोरियल का अंतिम भाग है, इसमें पक्षकारों को यह बताना होता है कि वे न्यायालय से क्या उपाय या राहत चाहते हैं। एक तरीके से एक से अधिक राहत का दावा कर सकता है।

प्रार्थना के अंत में, सलाहकारों को मेमोरियल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

[PRYER]

प्रस्तुत प्रश्नों के आलोक में, तर्क दिए गए और अधिकारियों ने उद्धृत किया वकील

के लिए अपीलकर्ता इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबसे विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है, कि वह न्याय करने और घोषणा करने में प्रसन्न हो सकता है कि,

प्रतिवादी और महेश को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

मुआवजा बढ़ाने के लिए रु./ पीड़िता और उसके परिवार को 50,000/- । अपीलकर्ता अतिरिक्त रूप से प्रार्थना करता है कि न्यायालय कोई अंतिम राहत दे सकता है और प्रतिवादी को उचित मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। जो वह उचित समझे।

य यह माननीय न्यायालय न्याय के अंत को पूरा करने के लिए कोई भी आदेश, डिक्री निर्णय पारित कर सकता है।

सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत किया गया,

- - - - - - - - - - - -

(अपीलार्थी के अधिवक्ता)

(3) MOCK SESSION (मॉक सेशन)

मॉक ट्रायल

प्रतियोगिता में दो विरोधी दल होते है. एक वादी या अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा बचाव पक्ष, या तो दीवानी या आपराधिक मुकदमें का अनुकरण करता है। प्रतियोगी उद्घाटन और समापन बयानों का प्रदर्शन करते है, प्रत्यक्ष और जिरह करते है, और यहां तक कि गवाहों की भूमिका निभाते है। न्यायाधीश इनमें से प्रत्येक घटक को स्कोर करते हैं और उच्चतम स्कोर वाली टीम जीतती है।

मॉक सेशन के दौरान, छात्र निम्नलिखित के संबंध में एक परीक्षण की मूल संरचना सीखते है।

(1) उद्घाटन और समापन वक्तव्य देना,

(2) पूछताछ विशेषज्ञ और गवाह रखना,

(3) साक्ष्य के नियमों का उपयोग करके आपत्तियां उठाना और उनका जवाब देना.

(4) न्यायालय कक्ष में उचित मर्यादा बनाए रखना।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

ट्रायल कोर्ट की प्रक्रियाओं को सिखाने और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने के लिए मॉक ट्रायल एक रोमांचक तरीका है।

मॉक ट्रायल छात्रों को निचली अदालत के परीक्षणों का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं।

एक मॉक सेशन एक परीक्षण स्तर की कार्यवाही का अनुकरण करता है। छात्र टीम बनाते हैं और वकीलों और गवाहों दोनों को चित्रित करते हैं। प्रत्येक टीम को तथ्यों का एक समान सेट, गवाह बयान, और सीमित संख्या में साक्ष्य नियम दिए जाते हैं। इसके बाद में उद्घाटन वक्तव्य, प्रत्यक्ष और प्रतिपरीक्षा, और समापन तर्क प्रस्तुत करते हैं। प्रदर्शन का मूल्यांकन छात्रों, प्रोफेसरों, या वकीलों और न्यायाधीशों के अभ्यास के संयोजन से किया जा सकता है।

यह छात्रों को कानून, पूछताछ तकनीकों, महत्वपूर्ण सोच और मौखिक वकालत कौशल के बारे में उपयोगी ज्ञान विकसित करने में मदद करता है।

(3) Interviewing Technique (साक्षात्कार तकनीक)

साक्षात्कार तकनीक ग्राहकों का साक्षात्कार करना एक कला है और केवल अनुभव ही व्यक्ति को इसे पूरी तरह से समझने में सक्षम बनाता है। इसकी प्राप्ति के लिए प्रशिक्षु को वकीलों द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार तकनीक का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। छात्रों को वकील के कार्यालय में क्लाइंट के साक्षात्कार सत्र का निरीक्षण करना चाहिए। छात्रों को वकील के कार्यालय में क्लाइंट के साक्षात्कार सत्र का निरीक्षण करना चाहिए। ग्राहकों को एक डायरी में नोट किया जाना चाहिए मुवक्किल के साथ व्यवहार करना एक वकील की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसलिए इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जब व्यथित व्यक्ति अधिवक्ता के पास आता है, तो वह उस रोगी के समान होता है, तो वह जो चिकित्सक के पास उपचार के लिए आता है। इसलिए अधिवक्ता को उसे धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए और उसे वह सब कुछ प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जो उसके ज्ञान के भीतर है उसे ग्राहक द्वारा बोले गए सभी मामलों को सुनना चाहिए और उसके

Bhatia Enterprises Ph. 403063

Topic ____________ Date : ________ Page 24

बाद उसे ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रत्येक दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। उसे मुवक्किल से एकत्र किये गए तथ्यों पर प्रासंगिक कानून लागू करना चाहिए। और उसके बाद उसे अपनी सलाह देनी चाहिए। उसे मामले की सफलता सलाह की संभावनाओं का ईमानदार और निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और इसके अनुसार ग्राहक को सलाह देनी चाहिए। क्लाइंट के साथ व्यवहार करना एक वकील की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुवक्किलों के साथ नम्र सभ्य और निष्पक्ष व्यवहार एक वकील को मुवक्किल के बीच लोकप्रिय बनाता है।

यदि वकील अपने मुवक्किल की अज्ञानता और निरक्षरता का लाभ उठाता है तो वह उसे भविष्य में भुगतान नहीं करेगा। यह जल्द ही उन्हें क्लाइंट और बार और बेंच लड़को के बीच भी अलोकप्रिय बना देगा। मुवक्किल का विश्वास खोना एक वकील के रूप में उनके अभ्यास के लिए हानिकारक साबित होगा। अपने मुवक्किल के साथ व्यवहार में वकीलो में निष्पक्ष और

ईमानदार होना चाहिए। उसे अपने मुवक्किल की ओर से प्राप्त सभी धन का सही और सही हिसाब देना होगा। एक वकील को अपने मुवक्किलों को पत्र-व्यवहार में तत्पर रहना चाहिए। उसे अपने मुवक्किल से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्हें अपने मामलों में हुई घटनाओं के बारे में सूचित करना चाहिए उसे किसी मामले की सफलता की संभावनाओं का ईमानदार और निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और उसके अनुसार ग्राहक को सलाह देनी चाहिए। उसे ग्राहक को यह सलाह देनी चाहिए कि उसे सफलता मिलेगी जबकि वास्तव में वह पूरी तरह से जानता है कि ग्राहक के पास जीतने का कोई मौका नहीं है।

इनके द्वारा की गई प्रतिकूल राय ग्राहक को नाराज कर सकती है, लेकिन सफलता की संभावना के बारे में उनका मूल्यांकन लम्बे समय में एक वकील के रूप में उनकी प्रतिकूल का उछालगा इस मूल्यांकन मुद्दे पर के.वी. कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा है कि यदि परीक्षा के परिणामस्वरूप एक वकील को पता चलता है कि मुवक्किल का मामला निराशाजनक है।

साक्षात्कार के प्रयोजन :- साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति के विषय मे अनेक प्रकार की सूचनाये एकत्र की जाती है जो साक्षात्कार कर्ता के लिए उपयोगी होती है।
साक्षात्कार के निम्नलिखित प्रयोजन है :-

(I) सूचना एंव जानकारी प्राप्त करना।

(II) सूचना एंव जानकारी प्रदान करना।

(III) किसी नये अधिकारी अथवा कार्यकर्ता का चयन।

(IV) समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान करना।

(V) साक्षात्कार के माध्यम से उचित संबंध स्थापित करना।

साक्षात्कार के प्रकार :-

कारण - प्रभाव साक्षात्कार :- इस प्रकार साक्षात्कार प्रयोग अधिकांश ! निर्देशन - परामर्श व अनुसंधान के अन्तर्गत किया जाता है। जब किसी समस्या से सम्बन्धित कारणों की खोज

करती होती है। प्रायः तभी इस प्रकार के साक्षात्कार को सम्पन्न किया जाता है।

उपचार साक्षात्कार : जैसे कि इस साक्षात्कार के नाम से ही स्पष्ट है इस साक्षात्कार का उद्देश्य, समस्या के कारणों को ज्ञात करने के उपरान्त, समस्या का उपचार करना होता है। इसके लिए उन सभी के साक्षात्कार किया जाता है, जो समस्या के उपचारार्थ, किसी भी दृष्टि से सहायक होते हैं।

अनुसंधान साक्षात्कार : यह साक्षात्कार अनुसन्धान कर्ताओं के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं तथा इस साक्षात्कार का उद्देश्य, किसी प्रकार की मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के मनोभावों मनोवृत्तियों और अभिरुचियों व इच्छाओं का पता लगाकर नये सामाजिक तथ्यों की खोज करनी होती है।

औपचारिक साक्षात्कार : इस प्रकार के साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। गुडे तथा हाट ने इस साक्षात्कार के बारे में लिखा है - इस प्रकार के

साक्षात्कार में विशिष्ट, समस्याओं, सम्भावनाओं व उनके समाधान की ओर ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः साक्षात्कार, एक सुनिश्चित योजना के अनुसार होता है।

अनौपचारिक साक्षात्कार : यह साक्षात्कार अनिर्देशित साक्षात्कार के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। गुड तथा हाट के अनुसार इसमें परामर्श लेने वाला स्वयं वाद-विवाद का नेतृत्व ग्रहण करता है। साक्षात्कार तो केवल, मित्रता के वातावरण में, उचित प्रकट करके, साक्षात्कार देने वाले को उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन देता है।

व्यक्तिगत साक्षात्कार : इस प्रकार का साक्षात्कार एक अवसर पर, एक ही व्यक्ति से किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार दाता और साक्षात्कार लेने वाले के समय सत्व क्रिया अधिक होती है। क्योंकि वहां आमने-सामने, कुल मिलाकर दो ही व्यक्ति होते हैं। इस स्थिति में साक्षात्कार देने वाले को अपने उत्तर देने में, अधिक कठिनाई नहीं होती है।

सामूहिक साक्षात्कार : इस प्रकार के साक्षात्कार के अंतर्गत, एक समय में एक ही से अधिक साक्षात्कार दाताओं का साक्षात्कार लिया जा सकता है साक्षात्कारकर्ता के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सभी साक्षात्कारदाता, उत्तर देने के लिए प्रेरित हों।

अनिर्देशित साक्षात्कार :- इस प्रकार के साक्षात्कार को अव्यवस्थित, असंचालित या अनियोजित साक्षात्कार के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।

उद्देश्य केन्द्रित साक्षात्कार : रार्बर्ट मर्टन के द्वारा इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग सबसे पहले किया गया था। इसका उद्देश्य रेडियो, चलचित्र आदि की प्रभावशीलता का पता लगाना था।

पुनरावृत्ति साक्षात्कार : लेजार्सफील्ड के द्वारा, इस साक्षात्कार का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त

करने के उद्देश्य से इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है।

साक्षात्कार की विशेषताएं :-

(1) साक्षात्कार से अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने - सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं।

(2) इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क का होना अनिवार्य है।

(3) साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है।

(4) इस वार्तालाप के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है।

(5) साक्षात्कार में इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है।

(6) यह जानकारी व्यक्तिगत सम्पर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है।

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सत्र – 2022–2023

कक्षा – बी. ए. एल एल.बी. नवम् सेमेस्टर

(पंचम् प्रश्न–पत्र के सत्रीय कार्य हेतु)

विषय : "Moot Court Exercise and Internship"

प्रस्तुतकर्ता

नाम – RESHAM PRASAD DUBEY

कक्षा – L.L.B. [3rd year] New Course

सेमेस्टर – I [First]

रोल नं. – 14224

मार्गदर्शक

प्रो. गगन उपाध्याय

डी. पी. विप्र विधि

महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

L.L.B III YEAR NEW COURSE

Topic ______ Date : ______ Page 1

MOOT COURT EXERCISE AND INTERNSHIP

V-PAPER

सरल क्रमांक	विषय-सूची (Subject Matter)	पृष्ठ क्रं.
1	Chapter-1 Moot Court	
A	मूट कोर्ट का अर्थ (Meaning of Moot court)	3
B	मूट कोर्ट की अवधारणा [Concept of moot court]	4
C	मूट कोर्ट का महत्व [Importance of moot court]	5 to 6
D	मूटकोर्ट के आयोजन या संचालन की विधि [Method of Organising or Conducting of moot court]	7 to 18
2	Chapter-2 मेमोरियल [Memorial]	19
A	मेमोरियल की अवधारणा [Concept of memorial]	20 से 22
B	मेमोरियल का प्रारूप [Format of Memorial]	23 to 24
C	मॉक सेशन [Mock Session]	25 to 26
3	Chapter-3 साक्षात्कार तकनीक [Interviewing Technique]	27 to 30

Bhatia Enterprises Ph. 403063

मूट कोर्ट

विधि के विद्यार्थियों के लिये कृत्रिम न्यायालय का गठन करना मूट कोर्ट (Moot Court) अथवा आभासी न्यायालय के नाम जाना जाता है।

यह न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी विनिर्दिष्ट वाद अथवा विनिर्दिष्ट विषय या विवाद्यक अथवा उस प्रयोजनार्थ तैयार किये गये, किसी काल्पनिक वाद पर एक प्रकार का वाद-विवाद (Debate) होता है।

किसी सुनिश्चित किए गए विवाद को यथावत प्रस्तुत करना, मूट कोर्ट का प्रमुख उद्देश्य है।

इंग्लैंड में विधि प्रशिक्षण हेतु मूट कोर्ट के व्यवहारिक तकनीकी को अपनाया गया था।

मूट कोर्ट की अवधारणा:- शास्त्रार्थ (Mooting) एक विशिष्ट प्रकार का स्वाँग (Simulation) समझा जाता है, जिसमें विद्यार्थियों से स्वाँग रचे गये न्यायालय (Simulated Court) के समक्ष विधि के बिन्दुओं (Points of Law) पर बहस करने के लिये कहा जाता है।

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) में भागीदारी व्यावहारिक कुशलता का विकास करती है। इससे विधि के विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास का विकास होता है जो विधि व्यवसाय में सफलता के लिये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह विद्यार्थियों को वाद-पत्र (Plaint) तैयार करने, लिखित कथनों और बहस के बिन्दुओं को तैयार करने के अतिरिक्त, आरोपों आदि को विरचित करने का अवसर प्रदान करता है। उन्हें जनहित याचिका प्रारूपित करने तथा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुभव प्राप्त हो सकता है। वे इसमें प्रति-परीक्षा एवं बहस की कला सीख सकते हैं जो वादों

को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
इससे विद्यार्थियों को वादों में अन्तर्वलित विनिर्दिष्ट विवाधकों पर सुसंगत वाद एकत्र करने का अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार, यह विधि के विद्यार्थियों को वकालत की प्रक्रिया के प्रति सजग होने तथा वकालत के कौशल को प्राप्त करने के लिये समर्थ बनायेगा। विद्यार्थी, उन्हें सौंपे गये वादों में विधि के सिद्धांतों को लागू करने का अवसर पाते हैं।

आपराधिक विधि से संबंधित मूट कोर्ट

इस प्रकार के मूट कोर्ट में किसी बहुचर्चित अपराध के निर्णय को ले लिया जाता है।
किसी न्यायाधीश को बुलाकर न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित करके दोनों पक्ष के गवाह प्रस्तुत किये जाते हैं। विद्यार्थी ही गवाह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। विद्यार्थी ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं। यदि अपराध का विवाद हत्या है तो विद्यार्थी ही उस विवाद में जाँच अधिकारी (Investigation - officer) के रूप में प्रस्तुत होते हैं। विद्यार्थी ही डाक्टर के रूप में प्रस्तुत होते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा ही सम्पूर्ण परीक्षण (Trial) सम्पन्न करवाया जाता है। उस Trial के मध्य जितने भी विधिक प्रश्न उठते हैं, वे विद्यार्थी के द्वारा ही उठाए जाते हैं और विद्यार्थी ही उनका निराकरण करते हैं। मूट कोर्ट में विद्यार्थी ही अभियुक्त की भूमिका निभाते हैं।
इन कार्यों को सम्पन्न करते समय विद्यार्थी को साक्ष्य अधिनियम की तथा भारतीय दण्ड संहिताओं की विभिन्न धाराओं का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टिकोण से हो जाता है जो कक्षा में व्याख्यान से संभव नहीं है।

मूट कोर्ट का महत्व [Importance of Moot Court]

मूट कोर्ट के महत्व निम्नानुसार हैं:

(1) मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) में भागीदारी न केवल विधिक कुशलता का विकास करती है, बल्कि वाद प्रस्तुत करने की कुशलता का भी विकास करती है। इससे विद्यार्थी अनुनय करने की कला सीखने में भी समर्थ हो जाते हैं।

(2) मूट कोर्ट से विद्यार्थियों में अदालत के कमरे (Court-Room) के शिष्टाचार (Etiquette) के साथ अपने पक्ष पर बहस करने की योग्यता का विकास होता है। इसमें भागीदारी द्वारा विद्यार्थियों में विधिक विवाद्यकों को पहचानने, विधिक सामग्री एकत्र करने, बहस की तैयारी करने, बिना उत्तेजित हुए बहस करने की योग्यता विकसित होती है।

(3) माननीय न्यायमूर्ति राजकिशोर प्रसाद के अनुसार: "बौद्धिक साधन (Intellectual equipment) से अधिक महत्वपूर्ण नैतिक साधन (moral equipment) होता है। किसी अधिवक्ता से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वह शाँति तथा मनोहारी प्रवृत्ति बनाये रखेगा। उसे न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिये। अधिवक्ता को उस समय अपना सँतुलन नहीं खोना चाहिये जब न्यायाधीश ने उसकी आशा के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त न की हो।"

(4) मूट कोर्ट में भाग लेकर विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कर्त्तव्यों का भी ज्ञान हो जाता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करेंगे। (एल० एम० दास० बनाम एडवोकेट जनरल, उड़ीसा, ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 250)

अधिवक्ता गण वाद से सँबंधित सामग्री सँग्रह करते हैं और तद्द्वारा विशुद्ध निर्णय पर पहुँचने में न्यायालय की सहायता करते हैं। वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं तथा न्यायालय उनके कथनों के आधार पर कार्य करता है।

Bhatia ENTERPRISES Ph. 403063

अतः वे न्यायालय के प्रति आत्यन्तिक रूप से निष्पक्ष होने के लिये कर्त्तव्यबद्ध हैं।

न्यायालय के प्रति अधिवक्ताओं के बहुत से कर्तव्यों को भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा संहितावद्ध किया गया है तथा उनका उल्लंघन व्यावसायिक कदाचार समझा जाता है और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे दण्डित किया जाता है।

(5) मूट कोर्ट में विद्यार्थी को न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परन्तु वह अपने कक्षा के बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है। मूट कोर्ट की नाटकीय पहलू विधि को रुचिकर बना देता है और विधि की नीरसता को समाप्त कर देता है।

दीवानी प्रक्रिया में तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया संबंधी विधि में मूट कोर्ट द्वारा विद्यार्थी को समझाना आसान है। ठीक इसी प्रकार हिन्दू विधि में विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के मुकदमों का मूट कोर्ट का प्रस्तुतीकरण संभव है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि विभिन्न विधि की शाखाओं के जटिल प्रश्नों को बड़े ही सरल ढंग से मूट कोर्ट के माध्यम से छात्रों को समझाया जा सकता है और उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

Bhatia ENTERPRISES Ph. 403063

मूट कोर्ट के आयोजन व संचालन की विधि
(Method of Organising or Conducting of moot court)

मूट कोर्ट अनेक प्रकार से गठित एवं संचालित किये जा सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सदैव मस्तिष्क में रखा जाना चाहिये। इसे विद्यार्थियों को विधिक बहस की तैयारी तथा उसे पेश करने का अवसर और उन्हें, जहाँ तक संभव हो, वकालत की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना होना चाहिये।

विद्यार्थियों को व्यक्तियों के समूह के समक्ष विधि के बिन्दु पर बहस करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये। इस प्रकार, मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिये, जिससे कि विद्यार्थियों की व्यावहारिक कुशलता का विकास हो।

मूट कोर्ट को गठित करने एवं संचालित करने की निम्नलिखित रीतियाँ उल्लेखनीय हैं—

(क) काल्पनिक विधिक वाद

मूट कोर्ट को संचालित करने की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति काल्पनिक वाद तैयार करना है और विद्यार्थियों के एक समूह को एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये तथा किसी दूसरे समूह को वाद के अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का सौंपा जाना चाहिये।

यह वाद सिविल वाद अथवा दाण्डिक वाद हो सकता है। यह रिट याचिका भी हो सकती है।

रिट याचिका की दशा में, उन्हें स्वयं याचिका प्रारूपित करने के लिये कहा जाना चाहिये और प्रतिपक्षी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों से याची के तर्कों का वितर्क करने के लिये कहा जाना चाहिये ताकि उसकी याचिका मंजूर न की जा सके।

दाण्डिक वादों में परिवाद-लेखन, दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों, अन्तर्वलित विधिक विवाद्यकों की अवधारणा, विवाद्यकों पर सामग्री का संग्रह तथा अंतिम बहस पर बल दिया जाना चाहिये।

इस प्रकार के शास्त्रार्थ में, बहसकर्त्ताओं को वाद-पत्रों के तैयार करने, लिखित कथनों तथा परिवादों के लेखन आदि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। वे प्रति-परीक्षा तथा बहस की कला भी सीख सकेंगे।

सिविल वादों में वाद, वाद पत्र के पेश किये जाने से प्रारंभ होता है। वाद-पत्र में, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद की ईप्सा की जाती है, वादी और प्रतिवादी का नाम, विवरण तथा निवास-स्थान, वाद-हेतुकों को गठित करने के तथ्य और कब वह उद्भूत हुआ, दावाकृत अनुतोष, क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय-शुल्कों, आदि के प्रयोजनार्थ वाद की विषय-वस्तु का मूल्य स्पष्ट रुप से बताया जाना चाहिये।

जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर सम्पत्ति हो, वाद-पत्र में संपत्ति का पूर्ण विवरण जैसे सम्पत्ति सीमाओं अथवा बंदोबस्त अभिलेख में संख्याएँ अथवा सर्वेक्षण द्वारा पहचान अन्तर्विष्ट होंगे।

वाद-पत्र के दाखिल किये जाने के पश्चात, वह पक्षकार, जिसके अधीन वाद दाखिल किया जाता है, वाद-पत्र में बताये गये तथ्यों को स्वीकार करने अथवा उनका प्रत्याख्यान करने और अपना निजी वाद पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसे लिखित कथन कहा जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII में लिखित कथनों से संबंधित नियम अन्तर्विष्ट होते हैं।

मुख्य न्यायाधीश, डॉ० बी० मलिक, ने यह कहा है कि दूसरा पक्ष जिसकी अधिवक्ता को प्रतिरक्षा करनी है, के संबंध में भी उक्त प्रकार के नियम ही लागू होते हैं। उसे स्पष्ट

Bhatia Enterprises Ph. 403063

प्रतिरक्षा सिद्ध करनी पड़ती है।
बहस की तैयारी के लिये, बहस करने वाले व्यक्ति को पक्षकारों के अभिकथनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये।
इसप्रकार, मूट कोर्ट संचालित करने की रीति अत्यन्त महत्व की है। यह बहस करने वाले व्यक्तियों को वकालत की कला का ज्ञान प्राप्त कराती है। इसमें तथ्यों को सिद्ध किया जाना चाहिये तथा बहसकर्ताओं को इस निमित्त तैयार काल्पनिक वाद में अन्तर्ग्रस्त विधि के प्रश्न पर ही बहस करनी चाहिये।

(ख) निर्णीत वाद :— मूट कोर्ट को गठित करने अथवा संचालित करने की एक पद्धति यह भी है कि किसी निर्णीत वाद पर बहस की जाये। इस प्रयोजनार्थ न्यायालय द्वारा किसी निर्णीत वाद का चयन किया जाना चाहिये और विद्यार्थियों के एक समूह को वाद में निर्दिष्ट सिद्धांत के पक्ष में बोलने के लिये कहा जाना चाहिये और दूसरे समूह से उक्त सिद्धांतों के विरुद्ध बोलने के लिये कहा जाना चाहिये।
प्रत्येक पक्ष को लिखित निवेदन दाखिल करने चाहिये तथा कारण बताते हुए दूसरे पक्ष के तर्कों का प्रत्युत्तर देना चाहिये। प्रत्येक पक्ष को अपने मत के समर्थन में साक्ष्य एकत्र करने का उचित युक्त समय देना चाहिये।
मूट कोर्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हावभाव के साथ ही उनके बोलने के ढंग पर भी विचार किया जाना चाहिये।
न्यायाधीशों के विचारों की आलोचना करने में, भाषा नम्र एवं शिष्ट होनी चाहिये। निर्णय की आलोचना की जानी चाहिये, न कि उस न्यायाधीश के आचरण की जिसने निर्णयों को दिया था। यह बात सदैव मस्तिष्क में रखी जानी चाहिये कि न्यायाधीश के आचरण की आलोचना करना न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार के मूटकोर्ट में प्रत्येक

विद्यार्थी को अपना लिखित तर्क दाखिल करने के लिये कहा जाना चाहिये उन्हें अपने लिखित तर्क को स्पष्ट करने के लिये 10 मिनट तक बोलने के लिये कहा जाना चाहिये।

इस प्रकार मूट कोर्ट विद्यार्थियों को अभ्यास द्वारा विधि सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह बहसकर्ताओं को विधिक कुशलता, प्रस्तुतीकरण कुशलता तथा बहसकर्ताओं की पेश करने की कुशलता का भी विकास करता है।

तथापि मूट कोर्ट गठित करने का कार्य सरल कार्य नहीं है। इसमें अच्छे पुस्तकालय, पर्याप्त अध्यापक कक्ष तथा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों, सरकार, न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

(ग) विनिर्दिष्ट विधिक विषय पर मूट कोर्ट :-

किसी विनिर्दिष्ट विधिक विषय का चयन किया जा सकता है और विद्यार्थियों से सामग्री एकत्र करने, अपने लिखित पत्र दाखिल करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर बोलने के लिये कहा जा सकता है जिससे कि वे अपने तर्कों को स्पष्ट कर सकें। मूट कोर्ट में परस्तुत विद्यार्थियों, अध्यापकों आदि द्वारा उन्हें प्रश्न दिये जा सकेंगे। विद्यार्थियों को समूहों में विभक्त किया जाना चाहिये और एक ही समूह के विद्यार्थियों को सामग्री एकत्र करने और सामूहिक रुप से बहस तैयार करने के लिये कहा जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में भी समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को लिखित तर्कों आदि का स्पष्टीकरण करने के लिये कुछ समय तक बोलने के लिये कहा जाना चाहिये। इसके लिये विद्यार्थियों से पुस्तकालय का परिदर्शन करने, पुस्तकों, जर्नलों तथा लेखों को पढ़ने और बहस तैयार करने तथा बोलने की शक्ति का विकास करने की अपेक्षा की जाती है।

इससे न केवल विधिक कुशलता बल्कि प्रस्तुतीकरण कुशलता का भी विकास होगा।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

सफलता के कारक

मूट कोर्ट में सफलता के लिये बहसकर्ताओं को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होगा—

I. वाद की तैयारी

किसी वाद की तैयारी और उसका प्रस्तुतीकरण एक कला है जिसे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। वे सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

वाद की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन किया जाना चाहिये और उन्हें स्मरण रखना चाहिये। इससे बहसकर्त्ता, जब कभी उससे तथ्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, तथ्यों को प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। यह उसे आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा।

घटनाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिये। और उन्हें तिथिवार (Datewise) दर्ज किया जाना चाहिये।

सुसंगत दस्तावेजों का भी सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये। विपक्षी के पक्ष में आधार तथा बहस का भी सतर्कतापूर्ण ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिये और प्रति तर्कों की व्यवस्थित ढंग से तैयारी की जानी चाहिये।

वाद के तथ्यों एवं सुसंगत दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात मामले पर विधि का शोध होना चाहिये। सुसंगत पाठ्यपुस्तकों तथा निर्णयज-विधि का गहनता से तथा सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये।

किसी वाद का अध्ययन करने में सम्पूर्ण रिपोर्ट का प्रारंभ से अंत तक सतर्कतापूर्ण अध्ययन करना चाहिये। वाद के तथ्यों का भी अध्ययन किया जाना चाहिये क्योंकि इससे वाद में निर्दिष्ट विधि के सिद्धांत के विस्तार को समझने में सहायता प्राप्त होगी। वाद में निर्दिष्ट विधि के सिद्धांत को अन्तर्विष्ट करते हुए निजी टिप्पणी तैयार करना बेहतर होगा।

न्यायमूर्ति राम लभाया ने अपने लेख – 'दि आर्ट ऑफ विनिंग केसेज' में कहा है कि वाद की पद्धति अनुसार तैयारी (methodical Preparation of the case) सफलता की सबसे आवश्यक शर्त है।
यह वाद के समुचित प्रस्तुतिकरण के लिये अपरिहार्य है। तथ्यों से भली-भाँति परिचित होना आवश्यक है। तथ्यों का ज्ञान आत्म-विश्वास उत्पन्न करता है।
तथ्यों के स्पष्ट, कालक्रमानुसार (chronological), असंदिग्ध तथा संक्षिप्त विवरण के पश्चात, प्रस्तुतीकरण में अगला महत्वपूर्ण कदम तर्कपूर्ण तारतम्य में विवादित बिन्दुओं का स्पष्ट कथन है, ताकि तर्कों की श्रृंखला में कड़ी-दर-कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ना संभव हो।
वादों का प्रोद्धरण भी कला है तथा वह वाद जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिवक्ता को वाद में अन्तर्ग्रस्त बिन्दुओं पर सभी सुसंगत वादों को जानना चाहिये। लेकिन सुसंगत वादों को दृष्टान्त स्वरुप पेश करना बेहतर होता है।
न्यायालय में किसी वाद को दृष्टान्त स्वरुप पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अधिवक्ता सर्वप्रथम वाद को न्यायालय के बाहर पढ़े, उसे अच्छी तरह से समझे और तत्पश्चात उस रिपोर्ट से सबसे सुसंगत एवं आवश्यक उद्धरण को चुने और अंतिम रुप से चुने गये लेखांशों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश करे।
किसी संप्रकाशित वाद में निर्णय की आलोचना सदैव और भी गरिमामय हो जाती है जब यह आलोचना व्यक्तिगत तथा उस न्यायालय के प्रति अप्रतिष्ठाकारी (derogatory) न हो जिसने उसे विनिश्चित किया हो।

वाद संस्थित करने के पूर्व जिस प्रकार अधिवक्ता को तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरह मूट कोर्ट में भाग लेने वाले विधि-विद्यार्थियों से भी अपेक्षित है। अधिवक्ता को चाहिये कि वह मुवक्किल (client) की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसे उत्प्रेरित करें कि वह मामले की पूर्ण और सत्य जानकारी दे।

तथ्यों की पूर्ण जानकारी और लागू विधि एवं नियम विनिश्चित करने के पश्चात न्यायिक निर्णयों की खोज करनी चाहिये। यथासंभव उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संकलित करने का प्रयास करना चाहिये।

सुसंगत विधियों के उपबन्धों एवं वादों को विनिश्चित करने और तैयार करने के पश्चात् सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करना आवश्यक है।

साक्ष्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- (1) मौखिक साक्ष्य और (2) दस्तावेजी साक्ष्य।

मौखिक साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होकर दिया जाता है और दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अनुसार सभी तथ्य दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं को छोड़कर मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किये जा सकते हैं।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेज की अन्तर्वस्तुएँ प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जाएँगी।

II - वाद के आवश्यक तत्व

वाद का प्रारम्भ वादपत्र द्वारा होता है। प्रत्येक वाद दो प्रतियों में न्यायालय को अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वादपत्र प्रस्तुत करके संस्थित किया जाता है। वाद के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है—

(i) कम से कम एक वादी और एक प्रतिवादी होना आवश्यक है।
(ii) प्रत्येक वाद में वाद हेतुक (Cause of action) का होना आवश्यक है।
(iii) प्रत्येक वाद में विषय-वस्तु का होना आवश्यक है। वाद में अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसका दावा किया गया है, उसका वाद में उल्लेख आवश्यक है।
(iv) वाद पत्र में जिस अनुतोष का दावा किया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

III - वाद का प्रक्रम (Stages of Suit) :-

किसी वाद में विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, जैसे वाद पत्र का दाखिल किया जाना, सम्मन जारी किया जाना, लिखित कथन का तैयार किया जाना, विवाद्यक की संरचना करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, बहस करना, डिक्री, अपील, द्वितीय अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, क्रियान्वयन इत्यादि।

IV - वाद लाने का स्थान (Place of suing) :-

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अनुसार हर वाद को वाद-पत्र प्रस्तुत या उपस्थित करके अथवा ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए, संस्थित किया जाएगा। प्रत्येक वाद-पत्र में तथ्यों को शपथपत्र द्वारा सिद्ध किया जायेगा।

V - विशिष्ट मामलों में वाद :-

सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 79 से 88 तक विशिष्ट मामलों में वाद के संबंध में उपबन्ध करती हैं। उन धाराओं के उपबन्ध निम्नवत है—

सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद

VI. वाद के पक्षकार

वाद के लिये कम से कम एक वादी और एक प्रतिवादी होना आवश्यक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की अनुसूची I का आदेश 1 वाद के पक्षकारों के संबंध में उपबन्ध करता है।

आदेश 1 के नियम निम्नवत हैं—

वादों के पक्षकार (आदेश 1)

वादियों के रूप में कौन संयोजित किये जा सकेंगे (नियम 1)—

वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किये जा सकेंगे जहाँ—

(क) एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यों या संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनु-तोष पाने का अधिकार उनमें संयुक्ततः या पृथक्तः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति पृथक्-पृथक् वाद लाते तो, विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता।

VII वाद का संस्थित किया जाना

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अनुसार हर वाद वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाये, संस्थित किया जाएगा। इस संबंध में संहिता का आदेश 4 उल्लेखनीय है।

उसके नियमानुसार प्रत्येक वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा।

इस संबंध में संहिता का आदेश 4 उल्लेखनीय है।

उसके नियमानुसार प्रत्येक वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

इस आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक वादपत्र आदेश 6 और 7 में अन्तर्विष्ट नियमों का वहाँ तक अनुपालन करे जहाँ तक वे लागू किये जा सकते हैं। इस आदेश के नियम 2 के अनुसार न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तक में, जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी, प्रविष्ट करायेगा। ऐसी प्रविष्टियाँ प्रत्येक वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिससे वादपत्र ग्रहण किए गए हैं।

VIII – अभिवचन – साधारणतः

सिविल प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची 1 का आदेश 6 और 7 अभिवचन – साधारणतः के संबंध में उपबन्ध करता है। इन आदेशों में उन नियमों का उल्लेख है जिनमें अभिवचन - साधारणतः के संबंध में नियम दिया गया है।

अभिवचन का मुख्य प्रयोजन पक्षकारों को निश्चित वाद-बिन्दु तक सीमित रखना है।

इसका उद्देश्य होता है एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के मामले और दावों से अवगत कराना ताकि वह उसका सामना कर सके।

एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका उद्देश्य एक पक्षकार के मामले को दूसरे पक्षकार को अवगत कराना है ताकि वह उसका सामना कर सके और इसके साथ ही न्यायालय को यह अवधारणा करने में समर्थ बनाना है कि पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद क्या है। इस प्रकार यह विशेष वाद के अनुक्रम में विचलित होने से रोकता है।

IX - बहस की तैयारी [Preparation Of Arguments]

बहस की तैयारी तथा रीति सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसलिये बहसकर्त्ताओं को उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहाँ तक बहस की तैयारी का संबंध है बहसकर्त्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पक्षकारों के अभिवचनों तथा सुसंगत दस्तावेजों के बारे में पूर्ण जानकारी रखेगा।

बहस के बिन्दुओं को दर्ज किया जाना चाहिये तथा तथ्य एवं विधि को प्रत्येक बिन्दु पर लिखा जाना चाहिये ताकि समस्त सुसंगत बिन्दुओं को बहस के समय प्रस्तुत किया जा सके और कोई भी बिन्दु बहस से छूटने न पाये।

वाद की बहस के दौरान सबसे ठोस बिन्दुओं पर बल दिया जाना चाहिए और कमजोर बिन्दुओं को जहाँ तक संभव हो, इस तरीके से नहीं उठाया जाना चाहिये कि उन पर न्याया-लय का ध्यान आकर्षित हो।

न्यायमूर्ति श्री खोसला के अनुसार जितना अधिक तथ्यों का सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया जाता है, बहस के अनुक्रम में उन्हें प्रभावकारी बनाना उतना ही अधिक सरल होता है। जब कुल मिलाकर पूरी तस्वीर पेश की जाती है, तो लघु तथा प्रकट रूप से गैर-महत्वपूर्ण विवरण नगण्य हो जाते हैं। इसलिये तथ्यों को भली-भाँति जानिए और तत्पश्चात उन पर वाद को पेश कीजिए।

वाद के अभिलेख का कमजोर तथ्यों का पता लगाने के अलावा प्रतिद्वंदी के वाद में ठोस बिन्दुओं का पता लगाने के उद्देश्य से अध्ययन किया जाना चाहिये।

न्यायमूर्ति श्री जी॰डी॰ खोसला का अधिवक्ता को दिया गया सुझाव बहसकर्त्ताओं के लिये भी लाभप्रद है।

उन्होंने राय व्यक्त की, कि —

उसे अपने वाद का अत्यन्त सतर्कतापूर्वक अध्ययन करना होगा और उन बिन्दुओं का पता लगाना होगा जो उसका समर्थन करते हैं तथा उन बिन्दुओं का भी पता लगाना होगा जो उसके विरुद्ध हैं।

यदि वह अपने प्रतिद्वंदी के वाद के कुछ भाग का प्रभावकारी ढंग से उत्तर नहीं दे सकता है, तो उसे अपनी कमजोरी पर बल देना चाहिये और अपनी निजी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिये।

उसे यह दर्शाने का प्रयत्न करना चाहिये कि अन्ततोगत्वा विश्लेषण में, कुछ परिस्थितियों के बावजूद उसको अधिक सुविधा होगी जिन्हें वह इन्कार नहीं कर सकता है, ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनका प्रत्यर्थी के पक्ष में होना प्रकट होता है, लेकिन, वास्तव में, वे निर्णायक हैं।

न्यायालय में अपना वाद पेश करने में, उसे अपनी ईमानदारी तथा स्पष्टवादिता से न्यायाधीश का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिये।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

कोर्ट मेमोरियल को कानूनी दस्तावेज के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों द्वारा तैयार किया जाता है।

यह एक लिखित सबमिशन है कि टीमें, मामलों और संदर्भित पुस्तकों, न्यायालयों के बयानों, भागों के तर्कों, मामलों के तथ्यों और प्रार्थना जैसे विवरणों को शामिल करने के लिये तैयार करती हैं।

एक अच्छा मेमोरियल (स्मारक) की तैयारी वास्तव में महत्वपूर्ण है।

एक अच्छी तरह से लिखित सबमिशन, तार्किक रुप से निर्मित तर्क एक जज के लिये समझना आसान होता है। न्यायाधीशों द्वारा वकील के तर्कों को अपनाने की संभावना अधिक होती है और उम्मीद है कि वे सबमिशन को स्वीकार करेंगे।

एक अच्छी तरह से लिखा हुआ, साफ-सुथरा और समान रुप से प्रस्तुत किया गया दस्तावेज न्यायाधीश को दिखाएगा कि मामले में प्रयास किया गया है।

एक स्मारक शुरु करने का सबसे अच्छा तरीका समस्या को जितनी बार हो सके पढ़ना है और प्रस्ताव में शामिल विषय के बारे में अपनी बुनियादी बातों को स्पष्ट करना है। पठन कौशल की बहुत आवश्यकता है। प्रारंभिक पठन इस बारे में बहुत जानकारी प्रदान करेगा कि पूरे शोध के बारे में कैसे जाना है और उसके बाद सदस्य अपने काम को विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले, मुद्दों को तय किया जाना चाहिये और टीम के सदस्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिये। हर विवाद, हर अदालत की कार्यवाही की तरह, दो पक्ष हैं; अपीलकर्ता और प्रतिवादी।

एक मूट कोर्ट स्मारक में निम्न लिखित शामिल होंगे, अर्थात इसकी व्यवस्था निम्नवत होनी आवश्यक है —

(1) कवर पृष्ठ

नियम आयोजन समिति के अनुसार प्रारुप और उल्लेख की जाने वाली जानकारी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सामान्य तौर पर निम्न लिखित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिये—

(i) स्मारक के परिचयात्मक पृष्ठ में अदालत का नाम होता है जिसके सामने मामले को प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) प्रतियोगिता का शीर्षक (राष्ट्रीय / क्षेत्रीय)

(iii) मामले का नाम

(iv) किसकी ओर से प्रस्तुत स्मृति चिन्ह का भी उल्लेख किया जाना है जैसे कि यह याचिकाकर्ता है या प्रतिवादी।

(v) आवरण पृष्ठ दो अलग-अलग रंगों में प्रस्तुत किया गया है जो प्रतिवादी/प्रतिवादी से वादी / याचिकाकर्ता की पहचान करने की अनुमति देता है।

नीले रंग का प्रयोग वादी / याचिकाकर्ता द्वारा और लाल रंग प्रतिवादी / प्रतिवादी के लिये किया जाता है। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिये एक टीम कोड दिया जाएगा, जिसका उल्लेख कवर पेज के ऊपर दाएँ कोने में किया जाना है।

(vi) संकेताक्षर की सूची

इसमें उनके पूर्ण रुप के साथ सभी संक्षिप्ताक्षर शामिल हैं, जो पूरे स्मारक में उपयोग किये जाते हैं, और इसमें फुटनोट भी शामिल हैं।

(vii) सामग्री की तालिका

यह एक व्यवस्थित क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें स्मारक की सामग्री का उल्लेख किया गया है। यह प्रत्येक पृष्ठ पर उनके संबंधित पृष्ठ संख्याओं के साथ शीर्षकों और

शीर्षकों को दर्शाता है।

(viii) अधिकारियों का सूचकांक

यह उन अधिकारियों की सूची है जिन्हें सौंपे गए मामले के लिये संदर्भित किया है। इसमें उद्धृत मामलों की सूची, कानून आयोगों की रिपोर्ट, संदर्भित पुस्तकें, संसदीय बहसें, टिप्पणियाँ और स्मारक में किये गए विवादों का समर्थन करने के लिये उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री शामिल हैं।

(ix) क्षेत्राधिकार का विवरण

यह मामले की प्रकृति की व्याख्या करता है कि क्या यह एक दीवानी मुकदमा है या याचिका और अदालत जिसके समक्ष मामले की पैरवी की गई है।

उदाहरण के लिये, "भारत के सर्वोच्च न्यायालय में" इस शीर्षक के ठीक नीचे आपको यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि यह किस प्रकार का मामला है- रिट याचिका "२०२२ का WP (1)"।

(x) तथ्यों का विवरण/सारांश

यह स्मारक का वह हिस्सा है जो प्रतिनिधित्व की जा रही पार्टी की स्थिति की व्याख्या करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सारांश में केवल प्रासंगिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल दिए गए तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जो उनके मामले का समर्थन करते हैं।

(xi) मुद्दों का बयान

इस खंड में, एक संक्षिप्त परिचयात्मक बयान मामले में शामिल कानूनी विवादों की व्याख्या करता है। तर्क तैयार किये गए मुद्दों के बयान पर आधारित होते हैं और उन्हें "क्या" से शुरु होने वाले तरीके से प्रश्न में मुद्दे की व्याख्या करते हुए वाक्यांशित किया जाना चाहिये।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

(XII) तर्कों का सारांश

जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह मामले में किये गए तर्कों का संक्षिप्त होना चाहिये।
इसमें केवल उठाए जा रहे मुद्दों का जिक्र होना चाहिए।
इन तर्कों की व्याख्या समुचित रूप से होनी आवश्यक है।

(XIII) दलीलें / दलीलें

यह वह मैदान है जहाँ प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता और कानूनों और उदाहरणों की समझ व्यक्त करने की अनुमति है।
यहीं पर समस्त शोध कार्य किया जाता है तथा उससे प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त किया जाता है।
यह वह जगह है जहाँ आपको उठाए गए मुद्दों पर अपने तर्कों को समझाकर जजों को समझाने का मौका मिलता है।
ठीक वैसे ही जैसे असल जिंदगी के कोर्ट रूम में होता है।

(XIV) निष्कर्ष / प्रार्थना

यह स्मारक का अंतिम भाग है, इसमें पक्षकारों को यह बताना होता है कि वे न्यायालय से क्या उपाय या राहत चाहते हैं।
एक तरीके से एक से अधिक राहत का दावा कर सकता है।
प्रार्थना के अंत में, सलाहकारों को स्मारक पर हस्ताक्षर करना चाहिये।

मूट कोर्ट मेमोरियल की तैयारी के तरीके

एक कोर्ट मेमोरियल दस्तावेज का पहला टुकड़ा है, जिसके साथ जूरी बातचीत करती है, इसलिये टीमों के लिये यह उचित है कि वे इसे बनाए रखते हुए प्रेरक तरीके से इसका मसौदा तैयार करें।

पहला कदम

मुद्दों और लागू कानूनों की अच्छी समझ पाने के लिये दिए गए प्रस्ताव को पढ़ना पहला कदम है। इससे न केवल समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी बल्कि मुद्दों को तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

दूसरा कदम

अनुसंधान करना दूसरा चरण है। यह उन मुद्दों पर आधारित है जिन्हें सौंपे गए प्रस्ताव को पढ़ने के बाद तैयार किया जाता है। अनुसंधान करने के लिये, कोई भी कॉलेज के पुस्तकालय में सामग्री के साथ शुरु कर सकता है और फिर भुगतान या मुफ्त वेबसाइटों का उपयोग करके उन्हें इंटरनेट पर देख सकता है।

एक शोध योजना तैयार करना बुद्धिमानी है, यानी किये गए अध्ययन के आधार पर एक प्रारंभिक बिन्दु बनाएँ और उसी के साथ आगे बढ़ें। चूंकि जानकारी के समुद्र में खो जाना आसान है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि वास्तव में क्या खोजा जा रहा है।

तीसरा चरण

एक मोटा मसौदा तैयार करें, अब यह आपको उन अनावश्यक तत्वों को खत्म करने की अनुमति देगा जो शोध प्रक्रिया के दौरान जमा हो गए होंगे।

चौथा चरण

वास्तविक मसौदे में तथ्यों का सारांश और क्षेत्राधिकार का विवरण होना चाहिए। यह कदम तब होता है जब कोई उपरोक्त वर्णित सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए और केवल प्रासंगिक तथ्यों और तर्कों को शामिल करने के लिये वास्तविक स्मारक का मसौदा

Bhatia Enterprises Ph. 403063

तैयार करता है जो मामले से संबंधित हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्मारक का मसौदा तैयार करते समय पैनल को संबोधित करने के लिये शब्दावली का उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिये। जैसे- "सबसे सम्मानपूर्वक दिखाता है" और "यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है।"

सुझाव

यह महत्वपूर्ण है कि मूट कोर्ट में पेश करते समय व्यक्ति हमेशा अच्छी तरह तैयार होकर चले।

निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जिन पर मूट कोर्ट मेमोरियल का मसौदा तैयार करते समय विचार किया जा सकता है—

1. शोध करें और अच्छी तरह से पढ़ें, मूट समस्या के साथ-साथ इसके आसपास की हर चीज को मानना/जानना भी जरुरी है।
2. स्मारक को अच्छी तरह से देखकर फिर से जाँच लें। ध्यान रखें कि फॉन्ट साइज और स्टाइल, लाइन स्पेसिंग, हेडिंग और व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ जैसे कारक मूट कोर्ट में समग्र अंकन के लिये जिम्मेदार हैं।
3. उद्धरणों पर ध्यान दें, उन्हें फुटनोट में दिये गये प्रारुप में समान रुप से उद्धृत करें। कुछ प्रारुप हैं— ब्लूबुक संस्करण, ओस्सकोला, एस एल आई सी आदि।
4. सर या मैम के बजाय "योर लॉर्डशिप/लेडीशिप" जैसे उचित तरीके से बेंच को संबोधित करें।
5. मामले को पेश करने से पहले बेंच से अनुमति लें।
6. तर्क प्रस्तुत करते समय स्पष्ट और संक्षिप्त रहें और आबंटित समय का पालन करें।

निष्कर्ष :— साहित्य एक सफल स्मारक के लिये लेखन कौशल और विषय वस्तु ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। साथ ही अनुभव भी वाककौशल को सुधारने में भी मदद करता है।

संदर्भ :— (i) सोहिनी बोस (2019/फरवरी 1 सेंट) "मूटिंग बेसिक्स: ड्राफ्टिंग ए मूटकोर्ट मेमोरियल"
(ii) निखिल चौधरी (2020 अगस्त 8वाँ) "मूट मेमोरियल बनाने की प्रक्रिया"

Bhatia ENTERPRISES Ph. 403063

मॉक सेशन [MOCK SESSIONS]

भारत के संविधान के कतिपय पहलुओं को Mock Session के द्वारा छात्रों के सम्मुख सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। मूट कोर्ट के समान Mock Session भी प्रभावी माध्यम है। संसदीय विशेषाधिकार स्थगन प्रस्ताव, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को Mock Sessions द्वारा प्रभावी ढंग से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। उस Mock Session के द्वारा स्थगन प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव भी छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

बजट के प्रस्तुतीकरण का दायित्व किसका है, इत्यादि पहलुओं पर Mock Session के द्वारा प्रकाश डाला जा सकता है।

इसी प्रकार साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया भी यथार्थ रुप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करके उन्हें संवैधानिक विधि का व्यावहारिक ज्ञान कराया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध ~~क~~ कठोर प्रस्ताव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदन की विभिन्न समितियों की कार्यवाहियाँ कैसे चलती हैं। इसका ज्ञान भी विद्यार्थियों को Mock Sessions के द्वारा कराना आसान होता है।

Mock Sessions में विभिन्न प्रश्नों को उठाकर अन्य तुलनात्मक संविधानों का ज्ञान कराया जा सकता है।

भारत के संविधान में साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया अलग-अलग है।

इस प्रक्रिया को कक्षा में सम्भाषण द्वारा समझाना कठिन होता है, परन्तु Mock Session द्वारा विधि के इस व्यवहारिक पहलू का ज्ञान कराना सरल एवं सुविधाजनक है।

अतः विधि के व्यवहारिक प्रशिक्षण में Moot Court की तरह Mock Session का विशेष योगदान होता है।

इस प्रकार के Mock Sessions के द्वारा संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कराना भी सरल होता है।
भारत के विश्व विद्यालयों में इस प्रकार के Mock Sessions को अभी अधिक महत्व नहीं दिया गया है, जिसे दिया जाना चाहिये।
संसदीय व्यवस्था के कार्यकलापों का उचित प्रस्तुतीकरण संविधान के गहरे कानूनों को उजागर करता है।
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित विधि के निर्णयों से इन Mock Session द्वारा उजागर किया जा सकता है। ~~जबकि~~ Mock Session अथवा Moot Court का निर्देश तभी प्रभावशाली हो सकता है, जबकि उसका निर्देशन सुयोग्य हो, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाए।
Mock-Session और Moot Court केवल व्यावहारिक शिक्षा के लिये ही नहीं वरन् शैक्षणिक ज्ञान के लिये भी आवश्यक है।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

मुवक्किलों का साक्षात्कार लेना एक कला है। केवल अनुभव से ही कोई व्यक्ति इसे पूरी तरह से समझने में समर्थ होगा। इसकी प्राप्ति हेतु वहसकर्त्ता को अधिवक्ताओं द्वारा अंगीकृत साक्षात्कार की कला का सतर्कतापूर्वक अवलोकन करना चाहिये। विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कार्यालय में अथवा विधिक सहायता कार्यालय में मुवक्किलों के साक्षात्कार सत्रों का अवलोकन करना चाहिये। मुवक्किलों के साक्षात्कार संबंधी मुख्य बिन्दुओं को डॉयरी में लेखबद्ध कर लिया जाना चाहिये।

जब कोई व्यथित व्यक्ति अधिवक्ता के पास आता है, तो उसकी स्थिति ठीक उस रोगी की सी होती है, जो उपचार हेतु चिकित्सक के पास आता है। अतः अधिवक्ता को उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिये तथा उसे उसको वह प्रत्येक बात प्रकट करने के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिये जो उसकी जानकारी में है। उसे मुवक्किल द्वारा बोली गयी समस्त बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये तत्पश्चात उसे मुवक्किल द्वारा पेश किये गये प्रत्येक दस्तावेज की जाँच करनी चाहिये। उसे मुवक्किल से प्राप्त तथ्यों में सुसंगत विधि लागू करनी चाहिये और तत्पश्चात उसे अपनी सलाह देनी चाहिये।

मुवक्किल से संव्यवहार करना किसी अधिवक्ता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुवक्किलों के साथ विनम्र, शालीन तथा निष्पक्ष संव्यवहार अधिवक्ता को मुवक्किलों में लोकप्रिय बनाता है।

अपने मुवक्किलों से संव्यवहार करने में, अधिवक्ताओं को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिये। उसे उन समस्त धन-प्राप्तियों का सत्य और शुद्ध लेखा-जोखा करना चाहिये जो वह अपने मुवक्किल से प्राप्त करता है। उसे अपने मुवक्किलों के साथ सम्पर्क बनाये रखने और उन्हें उनके वादों में होने वाली प्रगति के संबंध में

सूचित करते रहने का प्रयास करना चाहिये।
उसे मुवक्किल को यह सलाह नहीं देनी चाहिये कि उसे सफलता मिलेगी जबकि वास्तव में, वह इस बात से पूर्णतः सजग है कि उस मुवक्किल की जीतने की संभावनाएँ बिल्कुल नहीं हैं। उसके द्वारा दी गयी प्रतिकूल राय मुवक्किल को नाखुश कर सकती है।
इस मुद्दे पर, विद्वान न्यायमूर्ति श्री के०वी० कृष्णास्वामी अय्यर ने यह कहा है कि यदि जाँच के परिणामस्वरुप, अधिवक्ता यह पाता है कि मुवक्किल के ~~बाद~~ वाद के जीतने की कोई आशा नहीं है, तो यह कहीं अधिक बेहतर है कि वह उसे तत्काल समझा दे कि भ्रमपूर्ण आशा एक क्षण के लिये भी न पाले, क्योंकि अन्त में उसे शुल्क एवं व्ययों का संदाय करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में उसे विशेषकर जब वह विवादित मामले को हार जाता है, तो उसे असह्य तथा अन्याय महसूस किये बिना नहीं रह पायेगा।
जहाँ तक किसी अधिवक्ता का अपने मुवक्किल के प्रति आचरण का संबंध है, उन्होंने यह सम्प्रेक्षण किया—
"मुझे उस मुवक्किल के प्रति आपके आचरण को निर्दिष्ट करना चाहिये जो आपके पास मदद के लिये आता है। उसके साथ दयालुता का व्यवहार कीजिये। उसे जो भी कुछ कहना है, उसे सहानुभूतिपूर्वक सुनिए। मुवक्किल अपनी बात दोहरा सकता है, लेकिन उसे झिड़किये नहीं। उसे अपनी बात पूरी तरह से कहने दीजिये।
यह वाक्चातुर्य (declamation) हो सकता है, यह फालतू की बात तथा प्रतिद्वंदी की निन्दा हो सकती है। हो सकता है वह ऐसे न बोल रहा हो जैसे कि वह जूरी को संबोधित करता है, जिस पर वह अपने वाद का प्रभाव तथा सच्चाई जमाना चाहता है। लेकिन, यह अच्छी बात है कि आप सम्पूर्ण कहानी

को सुने; क्योंकि यह वांछनीय है कि आप भी एक भी सुसंगत तथ्य को न चूकें, भले ही आपको अनेकानेक असंगत तथ्यों में से छटाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। जो आवश्यक है उससे चूक करने की जोखिम उठाने के बजाय अनावश्यक तथ्यों को सुनना कम असुविधाजनक होता है। अपने मुवक्किल को उसके द्वारा अपनी बात कहने के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, बल्कि अपने प्रश्न को, उसकी बात खत्म होने तक, सुरक्षित रखिए।"

मुवक्किलों द्वारा प्रकट समस्त तथ्यों को प्रथम लेखबद्ध किया जाना चाहिये। तत्पश्चात्, सुसंगत तथ्यों को असंगत तथ्यों से पृथक किया जाना चाहिये।

मुवक्किल द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सतर्कतापूर्वक जाँच की जानी चाहिये।

कतिपय अधिवक्ता मुवक्किल के साथ बहस करने से कतराते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। कभी-कभी बुद्धिमान मुवक्किल ऐसा मूल्यवान सुझाव दे सकते हैं जो वाद को जीतने में सहायक हो सकता है।

इसबिन्दु पर, विद्वान के०वी० कृष्णास्वामी अय्यर का विचार उल्लेखनीय है। उन्होंने निम्नवत सम्प्रेक्षण किया है—

" यद्यपि मुवक्किलों को विधि का ज्ञान नहीं हो सकता है और उनकी राय इस रूप में कोई मूल्य नहीं रखती है, लेकिन फिर भी यह सदैव बुद्धिमानी होती है, यदि मुवक्किल प्रज्ञावान है तो, कि उसके वाद के संबंध में न्याय के सिद्धान्त को जान लिये जाये। चूँकि मुवक्किल ने अपने अधिकारों के बारे में दृढ़ राय बनायी होगी, इसलिये, वह उसे घरेलू (homely) लेकिन फिर भी बलपूर्वक बतायेगा जिसका आधार नैसर्गिक न्याय होगा। मैंने बहुत से अवसरों पर मुवक्किलों से ज्ञान की बातें सीखी हैं;

और तद्द्वारा मुझे जाँच के नये लाभप्रद तरीके प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने अधिकार के दावे उन तथ्यों से भिन्न पाया जो अन्यथा आपकी नजर से बच गये होंगे।"

मुवक्किलों से संव्यवहार करने में अधिवक्ता को अपने मस्तिष्क में भारतीय विधिज्ञ परिषद के उन नियमों को रखना होगा जो उसके अपने मुवक्किल के प्रति कर्त्तव्यों से संव्यवहार करते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ता न्यायालयों अथवा ट्रायब्युनल में अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई भी संक्षिप्त सार (ब्रीफ) स्वीकार करने के लिये बाध्य है जिसके समक्ष वह वकील वर्ग में अपनी प्रतिष्ठा और वाद की प्रकृति के अनुसार शुल्क पर व्यवसाय करने की प्रस्थापना करता है। अपने वचनबद्ध होने के प्रारंभ में और उसके जारी रहने के दौरान अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मुवक्किल को पक्षकारों से अपने संबंधों तथा विवाद में अथवा उसके बारे में किसी भी हित को पूरी तरह तथा स्पष्ट रूप से प्रकट कर दे जो या तो उसे वचनबद्ध करने में या उसकी वचनबद्धता के दौरान उसके मुवक्किल के निर्णय को प्रभावित करने के लिये संभाव्य है। उसके अतिरिक्त इस नियम में यह भी उपबन्ध किया गया है कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल अथवा उसके अधिकृत अभिकर्त्ता को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के निर्देश पर कार्य नहीं करेगा। अधिवक्ता को मुकदमें में परिणाम पर कोई समाश्रित शुल्क (Contingent fee) की अभिसंविदा नहीं करेगा अथवा उसके आगम में कोई हिस्सा लेने पर सहमत नहीं होगा। अधिवक्ता ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिसके द्वारा वह अपने मुवक्किल द्वारा उसमें व्यक्त किये गये विश्वास का दुरुपयोग करे अथवा उसका फायदा उठाये।

Bhatia Enterprises Ph. 403063

"सामाजिक न्याय में विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका"

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सम्बद्ध

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

के

विधि निकाय के अंतर्गत

एलएल.एम.

की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध : 2023

निर्देशक

श्री साजी थॉमस
सहायक प्राध्यापक (विधि)
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी

हरीश कुमार बरगाह
एलएल.एम. (द्वितीय वर्ष)
डी.पी.विप्र.विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

सह–निर्देशक

श्री राकेश सिंह सोरी
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय कानूनों के तहत वैवाहिक बलात्कार का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सम्बद्ध

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

के

विधि निकाय के अंतर्गत

एल.एल.एम.

की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध : 2022–2023

निर्देशक
डॉ. अन्नू भाई सोनी
प्राचार्य
डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी
उपासना सिदार
एल.एल.एम. (द्वितीय वर्ष)
डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

ATTESTED

"भारत में लैंगिक अन्याय पर विश्लेषणात्मक अध्ययन–ट्रांसजेंडर के लिए विशेष संदर्भ"

डी.पी. विप्र विधी महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सम्बद्ध

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

के विधि निकाय के अंतर्गत

एलएल. एम.

की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध : 2023

निर्देशक

प्रो. शाजी थामस
सहायक प्राध्यापक
डी.प्री.विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी

गौकरण कौशिक

एलएल.एम.(चतुर्थ सेमेस्टर)
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

"महिला उत्पीड़न एवं अपराध"

डी.पी. विप्र विधी महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सम्बद्ध

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

के विधि निकाय के अंतर्गत

एलएल. एम.

की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध : 2023

निर्देशक

प्रो.शाजी थामस
सहायक प्राध्यापक
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

शोधार्थी

मानसिंह

एलएल.एम.(चतुर्थ सेमेस्टर)
डी.पी.विप्र विधि. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

GREEN CRIMINOLOGY
ITS PRESENT AND FUTURE IMPLICATION

A DESSERTATION SUBMITTED TO
D.P VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR , CHATTISGHARH.

In partial fulfilment of the requirement of L.L.M
Degree from ATAL BIHARI VAJPAYEE UNIVERSITY,
Bilaspur, Chhattisgarh.

JULY – AUGUST – 2023

GUIDE
DR. ANNU BHAI SONI
PRINCIPAL
D.P VIPRA [illegible]
B[illegible]SPUR, CHA[illegible]

SUBMITTED BY :
SOUMYA YADAV
L.L.M- IV SEMESTER
D.P VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR, CHATTISGARH.

डी.पी. विप्र महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)

मूट कोर्ट

दिनांक-10.12.2022

LLB-III/V Semester

Name — Role Name — Role Play

Shrinivas Rao Karra - Judge - Judge

Ajay Kumar - Suyash Suman - Plaintiff Lawyer

Bhupendra Kori - Plaintiff Lawyer - Advocate

Padmini Kurrey- Plaintiff Lawyer - Advocate

Ajay Maravi - Advocate (Diffence)-Advocate

Aditya Sharma - Prof.Dr.Sibesan- Witness

Dilip Kurrey- Dr.Anirudh - Witness

विप्र विधि महा. बिलासपुर
मूट कोर्ट
दिनाँक-10/12/2022

डी.पी.विप्र विधि महा.
/12/2022

L C I T

II LAKHMI CHAND NATIONAL MOOT COURT COMPETITION, 2022

30 JUNE - 2 JULY, 2022

PRINCIPAL
O.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

LCIT MOOT COURT ASSOCIATION

SOCIAL MEDIA PARTNER:

LR

LEGGE RHYTHMS

Advocating Quality Law Education

IMPORTANT DATES

1. Power to Make Amendments, Modifications or Revocations-

24.1. The Organizing Committee shall have the power to amend, modify or revoke the provisions of these rules, either in part or in whole, subject to the feasibility, transparency and smooth functioning of the Competition.

24.2. Any such amendment or modification shall come into force upon the notification of such amendment or modification as the case may be.

24.3. Any such amendment or modification shall be deemed to be part of these rules.

2. Savings-

25.1. Nothing in these rules and procedures shall prejudice any right which any participant would have had before the enactment of these Rules and Procedures.

25.2. The Organizing Committee or the Institute shall not be held responsible for any actions of the participants before or during the course of the Competition, which are violative under the present Rules and Procedures.

25.3. In case of any queries, mails are acceptable at mcc.lcit.dls@gmail.com

3. Miscellaneous-

26.1. The mooter shall not state their names during the oral rounds, and they must use the Team Code. Team Codes will be allotted after the registration is closed. All team members must refrain from disclosing the identity of their Institution at any time and in any manner during the entire Competition. Non-compliance with this rule will result in immediate disqualification of the team. The decision of Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science, in this regard shall be final and binding.

26.2. The decision of the Judges with regard to the outcome of all the rounds shall be final and binding.

26.3. The Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science shall have sole discretion to assess penalties or to disqualify teams for any failure in abiding by any of the foregoing rules.

26.4. The Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science shall have sole discretion to make all the necessary interpretation of these rules and all such decisions shall have final and binding effect.

26.5. The Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science shall possess the sole power to resolve any dispute, which may arise during the conduct of the Competition.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

LCIT MOOT
COURT ASSOCIATION

LAST DATE OF EARLY BIRDS REGISTRATION.	**20 May, 2022**
LAST DATE OF REGISTRATION	**10 June, 2022**
LAST DATE FOR CLARIFICATIONS	**1 June 2022**
RELEASE OF CLARIFICATIONS	**3 June 2022**
LAST DATE OF SUBMISSION OF MEMORIAL (SOFT COPY)	**18 June, 2022**
ONLINE DRAW OF LOTS AND MEMORIAL EXCHANGE FOR PRELIMINARY ROUNDS	**28 June, 2022**
INAUGURAL CEREMONY	**30 June, 2022**
LAST DATE OF SUBMISSION OF MEMORIAL (HARD COPY)	**30 June, 2022**
PRELIMINARY ROUND 1 & 2	**30 June, 2022**
QUARTER FINALS & SEMI-FINALS	**1 July, 2022**
RESEARCHER'S TEST, FINAL ROUND & VALEDICTORY CEREMONY	**2 July, 2022**

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

LCIT MOOT
OURT ASSOCIATION

MOOT PROPOSITION

A girl named Simar aged 20 years, lived in a city in the Eastern province of the Republic of Hindia. She cleared High school with excellent grades. She was extrovert and used to raise her voice for all socio-economic issues.

Her family met a man named Lalit aged 23 years, who worked in the IT sector and belonged to a financially sound family in same community as Simar. Both the families mutually decided to get their children married.

After Marriage, Simar shifted to Vallahbad and started to reside with Lalit. After 2 years of the marriage, she conceived a child. She claimed that the intercourse between the couple that led to the pregnancy was against her consent and will. She was not physically as well as mentally prepared for the pregnancy and was not able to express her feelings with anyone. After initial weeks of pregnancy, she informed her parents about the whole incident. Her parents termed it as a marital obligation and suggested her to do whatever her husband wants. The thought of giving birth to a child caused her anxiety. She decided to abort her pregnancy. She visited a doctor for medical advice. Doctors refused to abort the child because she was 20 week, 6 days pregnant and this abortion is illegal as per Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

Being aggrieved by the medical advice, she contemplated the issue and finally decided to file a complaint in District Court of Vallahbad. Even after filing affidavit for expediate motion in the District Court, she was not able to get speedy relief.

The Courts in the Republic of Hindia are impartial and have always upheld the dignity of its citizen. From time to time, they have ruled judgement and laid down guidelines in the light of the welfare of it's citizens. The judiciary has always safeguarded the rights and interests of women, especially those involved in heinous offences.

Victim then decided to approach the Apex Court of Hindia under its original jurisdiction. The victim challenged the constitutional validity of Section 375 Exception II of Hindian Penal Code, 1860. The victim also claimed the right to abort her pregnancy of 22 weeks before the Hon'ble Apex Court.

The counsel for the petitioner, before the Apex Court of Hindia, contended that the pregnancy of a married woman due to forcible sex by her husband can be treated as rape under the Medical Termination of Pregnancy Act. The distressed situation of the Victim falls within the ambit of the act and the counsel seeks appropriate legal remedy for the Victim. During the proceeding, the counsel for the respondent stated that penal laws of the Republic of Hindia do not penalize sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife as rape further, it solely recognizes marital rape as an offence when the wife is below the age of 18 years.

The respondent counsel presented that the concept of marriage is sacred in nature under the personal laws and the object of the institution of marriage is for the procreation of children.

The issues raised before the Apex Court are as follows:

Issue 1- Whether the Petition filed by the petitioner is maintainable or not?

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

...OT MOOT
...T ASSOCIATION

Issue 2 – Whether Exception II of Section 375 of Hindian Penal Code, 1860 is constitutionally valid or not?

Issue 3 – Whether the victim has right to terminate her pregnancy of 22 weeks or not?

Notes: The Laws of Hindia are pari materia to Laws of India.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

LCIT MOOT
OURT ASSOCIATION

LCIT College of Commerce and Science

Bodri, Bilaspur (CG)

Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG)

Department of Legal Studies

II LAKHMI CHAND MOOT COURT COMPETITION

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

This certificate has been awarded to

ADARSH TIWARI (DP VIPRA)

in acknowledgement of your participation in MOOT COURT COMPETITION

held from 30 June & 02 July, 2022.

We appreciate your contribution and time.

We wish you luck & success in future endeavours.

MRS. YUVAKSHI MAINI Faculty, Convenor Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	MR. MANISH SINHA Faculty, Convenor Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	DR. ARJUN SINGH CHAUHAN HOD, I/c Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	REV. ABHINAV J. PAUL Vice-Principal LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	DR. ARCHANA SHUKLA Principal LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	MR. UPKAR RAI Secretary LCIT Group of Institutions, Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

L C I T

LCIT College of Commerce and Science

Bodri, Bilaspur (CG)

Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG)

Department of Legal Studies

II LAKHMI CHAND MOOT COURT COMPETITION

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

This certificate has been awarded to

SRINIVASA RAO KARRA (DP VIPRA)

in acknowledgement of your participation in MOOT COURT COMPETITION

held from 30 June & 02 July, 2022.

We appreciate your contribution and time.

We wish you luck & success in future endeavours.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)

MRS. YUVAKSHI MAINI	MR. MANISH SINHA	DR. ARJUN SINGH CHAUHAN	REV. ABHINAV J. PAUL	DR. ARCHANA SHUKLA	MR. UPKAR RAI
Faculty, Convenor	Faculty, Convenor	HOD, I/c	Vice-Principal	Principal	Secretary
Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	LCIT Group of Institutions, Bilaspur (C.G.)

LCIT College of Commerce and Science

Bodri, Bilaspur (CG)

Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG)

Department of Legal Studies

II LAKHMI CHAND MOOT COURT COMPETITION

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

This certificate has been awarded to

RAJRISHI NAGAYACH (DP VIPRA)

in acknowledgement of your participation in MOOT COURT COMPETITION

held from 30 June & 02 July, 2022.

We appreciate your contribution and time.

We wish you luck & success in future endeavours.

MRS. YUVAKSHI MAINI Faculty, Convenor Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	MR. MANISH SINHA Faculty, Convenor Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	DR. ARJUN SINGH CHAUHAN HOD, I/c Department of Legal Studies, LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	REV. ABHINAV J. PAUL Vice-Principal LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	DR. ARCHANA SHUKLA Principal LCIT College of Commerce and Science Bodri, Bilaspur (CG)	MR. UPKAR RAI Secretary LCIT Group of [illegible] Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022 Dated: 03/07/2022

One Page Report for Moot Court at Lakhmi Chand Institute of Technology

Place of Moot Court Competition	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur
Duration	3rd June & 2nd July, 2022
Course/Semester Participated	Students of LL.B. PART III SEMESTER I, BALLB 8th SEMESTER
Object	The primary objective of the moot court competition was to provide law students with a platform to engage in legal research, develop their oral advocacy skills, and understand the intricacies of courtroom procedures. Participants were tasked with arguing a hypothetical case, allowing them to apply theoretical knowledge in a simulated environment
Outcome	The competition concluded successfully with a diverse range of participants from various law schools across the country. The event fostered a spirit of healthy competition and collaboration among students. The winners were honoured for their exceptional performance, and feedback was provided by judges to all participants to enhance their future performances.
Summary	The moot court competition featured multiple rounds where participants presented their arguments before a panel of judges. Key aspects included: • **Case Presentation**: Participants were required to articulate their arguments clearly, referencing relevant case law and legal principles. • **Judging Criteria**: Competitors were evaluated on their legal knowledge, argument structure, and overall presentation skills. • **Engagement**: Judges actively engaged with participants, posing challenging questions to test their understanding and ability to think on their feet. The event concluded with an awards ceremony, recognizing outstanding participants and encouraging all students to continue honing their legal skills through such competitive platforms

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in -Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 03/07/2022

Photographs	

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)
E-mail: krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax: 07752-424044

Date: 09/07/2022

To,

The Principal,

D.P. Vipra Law College,

Bilaspur, (C.G.)

Subject: Regarding invitation for **Moot Court Course and Competition at Kaushalendra Rao Law College, Bilaspur, (C.G.)**

Respected sir,

We are delighted to extend our warmest invitation to your esteemed institution to participate in the upcoming Moot Court Course & Competition. This prestigious event is scheduled to take place on **22 Aug. 2022 to 24 Aug. 2022** at our campus.

The Moot Court Course & Competition aims to provide a platform for students to showcase their advocacy skills, legal acumen, and proficiency in legal research. The competition will follow a challenging case designed to test participants understanding of contemporary legal issues.

Key Highlights:

- **Networking Opportunities:** Engage with fellow participants, legal professionals, and academics during the event, fostering connections that extend beyond the competition.
- **Certificate of Participation:** All participants will receive a Certificate of Participation recognizing their contribution to the Moot Court Course & Competition.

We eagerly anticipate your presence at this intellectually stimulating event.

Sincerely,

Principal
Kaushalendra Rao Law College Bilaspur

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)
E-mail: krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax: 07752-424044

Date: 09/07/2022

DISCLAIMER

- The facts stated in the present case are fictitious and have been drafted solely for the purposes of the competition. The Facts, names, locations and dates bear no resemblance to any person, event or happening whether dead or alive. Any resemblance found, if any, is purely co incidental.
- The real names used in the problem are specifically for the purposes of the moot. No real incidents can be attached to them.
- This problem does not intend to hurt the feelings of any section of society or to offend any person.

Kaush... College

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)
E-mail: krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax: 07752-424044

Date 09/07/2022

MOOT PROPOSITION

The Republic of Windia is a peaceful country with similar law and customs as applicable in the India. In the mentioned country, there is a City of Shipla, where a matrimonial knot was tied between Jones & Stephanie who got married on 23.10.2000 in an arranged marriage system. Within two years of marriage, Stephanie conceived a baby boy with special needs. The increased expenses primarily because of the treatment of the child led to mismanagement of financial expenditure. Jones was not able to cope up with the stress and started an addiction of alcohol which led to constant heavy quarrels and aggressive arguments between the couple, over time the problems between the couples only increased. Every day from the office Jones would return drunk and heavy quarrels would follow.

For almost six months after the birth of the boy this situation continued. For that period Stephanie hid the ongoing problems from her in laws and her parents in the hope that things will get better. Stephanie tried to talk sense with Jones whenever he was in his senses and asked him to concentrate on his responsibilities, but everything was futile. On January 2nd, 2003 Jones came home after heavy consumption of liquor and after a very aggressive argument with Stephanie, he started beating her and left her with bruises on the leg and swollen left cheek. The present incident and worsening financial hardship forced Stephanie to confess everything to her in-laws & to her parents. Due to efforts of both the families and because of the promise of financial aid, Jones vowed to quit drinking and concentrate on his family.

But in late May 2005 Jones changed his job & went to take a new job with a promotion which considerably improved his financial condition. The Couple was leading a happy life. Also, after seeing the better financial condition in July 2005 the financial support from the parents of the couple stopped. Later in that year Jones again picked up the habit of drinking and by December 2005 the relationship between the couple started to get effected because of constant quarrels and aggressive arguments. The reason was again the alcohol addiction of Jones.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)
E mail krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax: 07752-424044

Date 09/07/2022

MOOT PROPOSITION

The Republic of Windia is a peaceful country with similar law and customs as applicable in the India. In the mentioned country, there is a City of Shipla, where a matrimonial knot was tied between Jones & Stephanie who got married on 23.10.2000 in an arranged marriage system. Within two years of marriage, Stephanie conceived a baby boy with special needs. The increased expenses primarily because of the treatment of the child led to mismanagement of financial expenditure. Jones was not able to cope up with the stress and started an addiction of alcohol which led to constant heavy quarrels and aggressive arguments between the couple, over time the problems between the couples only increased. Every day from the office Jones would return drunk and heavy quarrels would follow.

For almost six months after the birth of the boy this situation continued. For that period Stephanie hid the ongoing problems from her in laws and her parents in the hope that things will get better. Stephanie tried to talk sense with Jones whenever he was in his senses and asked him to concentrate on his responsibilities, but everything was futile. On January 2nd, 2003 Jones came home after heavy consumption of liquor and after a very aggressive argument with Stephanie, he started beating her and left her with bruises on the leg and swollen left cheek. The present incident and worsening financial hardship forced Stephanie to confess everything to her in-laws & to her parents. Due to efforts of both the families and because of the promise of financial aid, Jones vowed to quit drinking and concentrate on his family.

But in late May 2005 Jones changed his job & went to take a new job with a promotion which considerably improved his financial condition. The Couple was leading a happy life. Also, after seeing the better financial condition in July 2005 the financial support from the parents of the couple stopped. Later in that year Jones again picked up the habit of drinking and by December 2005 the relationship between the couple started to get effected because of constant quarrels and aggressive arguments. The reason was again the alcohol addiction of Jones.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)

E mail krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax 07752-424044

Date 09/07/2022

Then the history repeated as again Jones was quarrelling with Stephanie. There was a series of fights which later turned into physical quarrels in which Jones was beating Stephanie. On January 5th, 2006, Stephanie felt that she has had enough and then decided to tell everything to her in-laws & to her parents. However, this she was not able to as she was stopped by Jones who physically assaulted her and threatened her that if she tried to tell anything to her parents again then he will kill the child and solve all the problems then and there. After that day, beating became a usual practice an 'd on several occasions, Jones also had sexual intercourse with Stephanie without her consent. Under threat and for protection of her child Stephanie decided not to share the problem and endured the beating, harassment and rape by her husband which became a usual practice.

On night of 21 March 2006 again Jones came drunk at home and started beating Stephanie due to which she sustained certain injuries on her body. The beating continued till 11:00 pm after which Jones went to his room & slept. However, Stephanie was not able to sleep the entire night, she was thinking & weeping on her situation, in her drawing room there were series of thoughts in her mind like about her life, her child & about promises of good life made to her by her husband. In the early morning of 22 March 2006 around 4 am, she took Iron rod in her hand & went to her bed room and inflicted injuries on Jones's head & vital body parts which resulted into death of Jones on the spot. Stephanie then at 6:30 am went to the room and inflicted a hit on the head of her child which resulted in the death of the child on the spot. After all this she sat in her drawing room holding Iron rod in her hand. Later, when around 8:00 am when her maid came & saw everything, she immediately called the police & Stephanie was arrested. Husband Jones and the

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Principal
Kaushalendra Rao PG Law College Bilaspur

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE

KAUSHALENDRA RAO PG LAW COLLEGE

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Kaushalendra Rao Law College Link Road, near Hotel Shivneri, Bilaspur (C.G)
E-mail: krlawcollege@gmail.com, Mobile: +91 7752-424044, Tel-Fax: 07752-424044

Date: 09/07/2022

child was taken to hospital, where they were declared brought dead in the hospital. Police started inquires & case was filed against Stephanie.

During the trial in the session wife was held not liable for murder on the ground that she acted under the grave and sudden provocation and is thus liable for culpable homicide. However, the Shipla High Court convicted Stephanie for Murder.

Now, Stephanie has filed an appeal before Hon'ble Supreme Court of Windia.

Keeping in mind all the aforementioned points and any other relevant points, the grounds for filing of appeal, prepare the arguments from both the sides.

Note:

- *In Addition To That, Teams Are Allowed To Frame Their Own Issues On The Basis Of The Moot Problem.*
- *Teams Are Not Allowed To Put Any Additional Information/ Documents Other Than What Has Been Provided Under Moot Proposition.*

Kaushal... College...

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Date: - 11.07.2022

//NOTICE//

This is to inform the students that a moot court competition and course is going be held at Kaushalendra Rao Law College, Bilaspur (C.G.)

Duration: August 22nd to 24th, 2022

A total of 50 students from LL.B. Part III, Semester I will be selected to participate.

All participants will receive a certificate.

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

K.R. LAW PG COLLEGE BILASPUR (C.G.) CONGRATULATES

BHUPENDRA KUMAR NIRMALKAR

For Participating in Moot Court Course & Competition

held on 22 Aug 22 to 24 Aug 22.

We Appreciate Your Effort Keep Participating.

Professor Incharge
RAMESH PANDEY
K.R. Law PG College
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Principal
SATISH TIWARI
K.R. Law PG College
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

MOOT COURT COMPETITION
2022-23
27-28 OCTOBER, 2022-23

ORGANISED IN COLLABORATION WITH D.P. VIPRA LAW COLLEGE, BILASPUR, CHHATTISGARH

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

ABOUT CVRU

Dr. C.V. Raman University Bilaspur (CVRU Bilaspur) is the first private university in Chhattisgarh, established in 2006. It offers a wide range of courses in various fields and is recognized by UGC, approved by AICTE, NCTE, BCI, and certified by ISO: 9001:2008. The university has received numerous awards and rankings, proving its excellence in education. It has a vast campus with modern infrastructure and is listed among the top engineering colleges in India.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

TIMELINE OF COMPETITION		
S.N.	**Event**	**Dates**
1	Last Date of Registration & Payment	16-10-2022
2	Last Date for Submission of Memorials (Soft Copy)	19-10-2022
3	Inaugural Ceremony, Preliminary Rounds & Quarter Final Rounds	27-10-2022
4	Semi-Final Rounds, Final Rounds & Valedictory Session	28-10-2022

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

REGISTRATION DETAILS

- Participants from any college pursuing a **3 year LLB** course or a **5 year integrated LLB** course shall be eligible to participate in the competition.
- Registration shall be conducted only through the offline mode.
- Registration shall be considered as final only when the form is finally submitted and the receipt of payment has been submitted.
- Registration Fee-Registration for the whole team shall be Rs. 400.
- The registration fees shall be non-refundable and no claim for the refund shall be entertained at any cost.
- Each team shall be notified with their team code. once the cut-off date for registration has passed.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

GUIDELINES

1. The dress code for the event shall be black and white formals with black tie and black shoes only.
2. All the team members have to strictly follow the dress code during the whole event.
3. The teams shall not disclose the identity of their college or their names during any stage of the competition. Anonymity has to be strictly maintained. Any contravention of this rule may lead to disqualification of the team from the event.
4. Each team shall comprise of three members, i.e. two speakers and one researcher.
5. Designation of the team members (Speaker 1, Speaker 2 and Researcher) shall be final and will remain same as entered while filling the registration form and further substitution of any individual for any designation is not allowed.
6. Every team shall prepare one memorial from the side of plaintiff and one from the side of defendant.
7. The team code has to be mentioned on the cover page of each memorial and also on every page of the memorial. The name of the memorials (for soft copy submission) shall also contain the team code.
8. The petitioner's memorial shall also contain the letter 'P' along with the team code and similarly the respondent's memorial shall contain the letter 'R'.
9. Every participating team should bring 4 copies of memorials each representing petitioner as well as respondent to be submitted before the preliminary round.
10. Every memorial brought for submission should be in spiral binding.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

11. The name of the college and participants should not be written anywhere in the memorial.
12. Any sort of delay in arrival of the teams at the venue during the oral rounds shall not be entertained.
13. The cover page of every memorial should follow the designated colour code, blue colour for the petitioners and red colour for the defendants.
14. Every memorial should contain the following-
    - The table of contents
    - The index of authorities
    - The statement of Jurisdiction
    - The statement of facts
    - The statement of issues
    - The summary of arguments
    - The argument advanced
    - The prayer
15. The language for the competition will be bilingual. The participants are at will to use either of the two languages (English or Hindi). • Memorials should be printed on single sides of A4 sized papers.
16. The text should be in Times New Roman with font size of 12 pts., with 1.5 line spacing between the lines.
17. Footnotes are required to follow the 10 pts font size with line spacing of 1 pt.

PRINCIPAL
DR. VIRRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

18. One inch margin has to be maintained on all the sides of every page.
19. All the citations should strictly adhere to the Bluebook citation style (20th edition).
20. Competitors are required to adhere to the proper Court manners and etiquettes. Diversion from this may result in penalties in scores.
21. The competitors are expected to carry their own resources and reference materials, as no material will be provided from the side of the organizing college.
22. Oral rounds will be conducted in four stages, i.e. preliminary round, quarter-final round, semi-final round and final round.
23. The result of every round will be decided on knock out basis and further in order to select the top 8 teams after the preliminary round, merit of the teams will also be considered.
24. Oral Rounds will be of 25 minutes per team which may be divided according to the discretion of teams, provided that the minimum time that every speaker takes, shall be 10 minutes.
25. Five extra minutes shall be provided to each team for rebuttal.
26. Rebuttal may be permitted on the basis of the discretion of the judges. If allowed, the duration of rebuttal shall also be 5 minutes.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

MOOT PROPOSITION

The Asian sovereign state of Namibistan follows the parliamentary form of governance. With its large boundaries and huge population extending up to 150 crore, the state is governed by the principles of rule of law, which are protected by its apex court, the Supreme Court, which also functions as the highest Court of Record for the State.

The Constitution of Namibistan provides certain fundamental rights to its citizens, one of which is contained in Article 21which states the following- **Protection of life and personal liberty**- No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

The Supreme Court has through one of its judgments, broadened the scope of right to life, to include the right to a dignified life and the other rights necessary for living a dignified life within its ambit. In another case Supreme Court has also held privacy to be essential for living a dignified life and thus making right to privacy a Fundamental right.

There is a company called 'Mega Services Pvt. Ltd.', headquartered in the state of Rihana, which operates on global level as a giant social media platform. This company has a sister company named as 'Telechat' which provides messaging service to the people in the state and across the globe. Both the companies control huge data and enjoy the status of being one of the world's biggest social media and messaging service provider.

In January 2021, Telechat updated the Privacy Policy and terms of services, which allows its parent company 'Mega Services Pvt. Ltd.' to access

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

the data. Relevant portion of privacy policy as updated by the company is as follows-

Third-Party Service Providers- We work with third-party service providers and other Mega Companies to help us operate, provide, improve, understand, customize, support, and market our Services. For example, we work with them to distribute our apps; provide our technical and physical infrastructure, delivery, and other systems; provide engineering support, cyber-security support, and operational support; supply location, map, and places information; process payments; help us understand how people use our Services; market our Services; help you connect with businesses using our Services; conduct surveys and research for us; ensure safety, security, and integrity; and help with customer service. These companies may provide us with information about you under certain circumstances; for example, app stores may provide us with reports to help us diagnose and fix service issues. The section below provides more information about how Telechat collects and shares information with the other Mega Companies.

- **Third-Party Services**. We allow you to use our Services in connection with third-party services and Mega Company Products. If you use our Services with such third-party services or Mega Company Products, we may receive information about you from them; for example, if you use the Telechat share button on a news service to share a news article with your Telechat contacts, groups, or broadcast lists on our Services, or if you choose to access our Services through a mobile carrier's or device provider's promotion of our Services. Please note that when you use third-party services or Mega Company Products, their own terms and privacy policies will govern your use of those services and products.

How We Use Information

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

We use the information that we have, to operate, provide, improve, understand, customize, support, and market our Services. (This is subject to the choices you make and the laws as applicable) Here is how:

- **Our Services**. We use the information to operate and provide our Services, including customer support services; completing purchases or transactions; improving, fixing, and customizing our Services; and connecting our Services with Mega company products that you may use. We also use information to understand how the people use our Services; to evaluate and improve our Services; to research, develop, and test new services and features; and conduct troubleshooting activities. We also use your information to respond to you when you contact us.
- **Safety, Security and Integrity**. Safety, security, and integrity are an integral part of our Services. We use the information to verify accounts and activity; combat harmful conduct; protect users against bad experiences and spams; and promote safety, security, and integrity on and off our Services, such as by investigating suspicious activity or violations of our Terms and policies, and to ensure our Services are being used legally. We use end to end encryption.
- **Communications about Our Services and Mega Companies.** We use information we have to communicate with you about our Services and let you know about our terms, policies, and other important updates. We may provide you marketing for our Services and those of the Mega Companies.
- **Business Interactions**. We enable you and third parties like businesses, to communicate and interact with each other using our Services, such as Catalog for businesses on Telechat through which you can browse products and services and place orders. Businesses may send you transaction, appointment, and shipping notifications; product and service updates; and marketing. For example, you may receive flight status information for upcoming travel, a receipt

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with A Grade by NAAC
Kargi Road, Kota, Dist. - Bilaspur (C.G.)
Ph.: 07753-253 801 Fax: 07753-253728
E-mail: info@cvru.ac.in, visit us at: www.cvru.ac.tn

for something you purchased, or a notification when a delivery will be made. Messages you receive from a business could include an offer for something that might interest you. We do not want you to have a spammy experience; as with all of your messages, you can manage these communications, and we will honor the choices you make.

After updating the privacy policy, Telechat has not given option to its user for continuing the use of the platform without accepting the new privacy policy. Either they have to leave the platform or accept the updated the privacy policy.

One citizen of the state of Namibistan, Mathew Walker, has filed a Public Interest Litigation in the Supreme Court for the breach of privacy of users by the Telechat and accused the app of misusing its status and exploiting the users' data against their wishes. The Supreme Court has accepted the PIL and the case has been listed for hearing.

NOTE*-All the laws of the state of India apply mutatis mutandis to the state of Namibista*

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Date:- 30/09/2022

NOTICE

Moot Court Competition and Workshop 2022-23

The **Dr. C.V. Raman University**, in collaboration with **D.P. Vipra Law College, Bilaspur, Chhattisgarh**, is organizing a Moot Court Competition and Workshop from **October 27-28, 2022.**The key details are as follows:

S.N.	Event	Dates
1	Last Date of Registration & Payment	16-10-2022
2	Last Date for Submission of Memorials (Soft Copy)	19-10-2022
3	Inaugural Ceremony, Preliminary Rounds & Quarter Final Rounds	27-10-2022
4	Semi-Final Rounds, Final Rounds & Valedictory Session	28-10-2022

- *Interested students can give their names to the event coordinator of D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)*
- ***Date of the event:** October 27-28, 2022*

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

MOOT COURT COMPETITION AND WORKSHOP 2022-23

27-28 OCTOBER, 2022

Conducted by Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

In Collaboration with D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)

Student's List

S.N.	STUDENT'S NAME	SIGN	S.N.	STUDENT'S NAME	SIGN
1	PRIYANKA KUMARI GUPTA		26	KAMTA NATH KAUSHIK	
2	AKSHAT SHARMA		27	SURYAKANT RAJWADE	
3	PRIYESH BABA TONDAY		28	JAY PRAKASH	
4	SAMEER KUMAR CHANDRAKAR		29	SHUBHAM TIWARI	
5	DHAN KUMAR		30	GAGANJEET SINGH BHOGAL	
6	SONAM SINGH		31	SOURABH TRIPATHI	
7	SRINIVASA RAO KARRA		32	GOVIND PRASAD SAHU	
8	SIDDHARTH SHARMA		33	SANDEEP KUMAR SAHU	
9	RAKHI GUHA		34	ASHISH KUMAR TIWARI	
10	RISHABH SHARMA		35	MANOJ SHARMA	
11	YOGESH KUMAR TIWARI		36	LAXMAN PRASAD	
12	BARI BRAT BISWAS		37	AMIT GAURAHA	
13	NISHANT TIWARI		38	RAJKUMAR CHANDRAKAR	
14	AGRITA DAS		39	PURNIMA MARKO	
15	ASHA PAINKRA		40	AJAY KUMAR	
16	AAKASH KUMAR YADAV		41	SHUBHAM DWIVEDI	
17	VIKAS MAHILANG		42	MUGDHA DHAR	
18	PADMINI KURREY		43	YASHODA SONI	
19	SURENDRA		44	RAMESHWAR KUMAR	
20	HARIKSHIT		45	MEENA AADIL	
21	DHANESHWAR		46	ARUN NAYAK	
22	MANISH BORKAR		47	KABIR SINGH NAGESH	
23	ABHINAYA K		48	KRITIKA RAJAK	
24	SARAD KUMAR		49	AMIT KUMAR	
25	DEVNATH SANEHI		50	PRITISH KUMAR SINGH BURMAN	

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.R. C.V. RAMAN UNIVERSITY

(A Statutory University Under section 2 (f) of the UGC Act)

INSTITUTE OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Certified That

PRIYANKA KUMARI GUPTA

PARTICIPATION MOOT COURT COMPETITION & WORKSHOP
during
27^{th}-28^{th} October 2022

Conducted by **Dr. C.V. Raman University, Bilaspur** (C.G.) In Collaboration with **D.P. Vipra Law College, Bilaspur** (C.G.)
In recognition of his / her success this
CERTIFICATE is awarded

DATE 28/10/2022

CO-ORDINATOR
Dr. C.V. Raman University,
Bilaspur (C.G.)

CO-ORDINATOR
D.P. Vipra Law College,
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE

D.R. C.V. RAMAN UNIVERSITY

(A Statutory University Under section 2 (f) of the UGC Act)

INSTITUTE OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Certified That

AKSHAT SHARMA

PARTICIPATION MOOT COURT COMPETITION & WORKSHOP
during
27th-28th October 2022

Conducted by **Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)** In Collaboration with **D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)** In recognition of his / her success this **CERTIFICATE** is awarded

DATE 28/10/2022

CO-ORDINATOR
Dr. C.V. Raman University,
Bilaspur (C.G.)

CO-ORDINATOR
D.P. Vipra Law College,
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in - Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH No 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated : 01/11/2022

To,

The Principal,
D.P. Vipra Law College,
Bilaspur (C.G.)

Subject: - Application requesting for visit of students of **D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)**

Respected Sir,

This letter requests permission for a student field trip to **Nature's Park on November 12th, 2022**. The trip, intended for **50 students** from **D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)**, aims to provide a practical application of environmental law concepts and sustainability practices learned in the classroom.

So, kindly approve for this educational trip.

Thanking You!

Sincerely,

Ms. Apoorwa Pandey
Visit Coordinator
D.P. Vipra Law College, Bilaspur
(C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated : 08/11/2022

To,

The Hon'ble Sarpanch,
Gram Panchayat Khondra,
Bilaspur (C.G.)

Subject: Request for Permission - Educational Visit to Nature's Park

Respected Sir,

D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.), is planning an educational trip for **50 students** to **Nature's Park** located within the jurisdiction of **Khondra village** on **November 12th, 2022.**

So, kindly consider our request and grant us permission for this educational visit.

Thanking you!

Sincerely,

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. Vipra Law College,
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय ग्राम पंचायत खोंधरा

जनपद पंचायत मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सरपंच-
श्रीमती प्रमिला सुरेश महंत

निवास-
ग्राम-खोंधरा, पोस्ट-जेवरा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
MO.- 6267448905 ,9926742823

क्रमांक 9/2022

दिनॉक 20/11/2022

To,

The Principal,
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Subject: Acceptance of Permission - Educational Visit to Nature's Park

Respected sir,

This is to confirm the permission granted by the Gram Panchayat Khondra to **D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)**, for a student visit to Nature's Park on **November 12th, 2022**.

Thanking You!

Sincerely,

सरपंच
ग्राम पंचायत खोंधरा
जनपद पंचायत मस्तूरी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated : 01/11/2022

NOTICE

Educational Trip to Nature's Park!

This is to inform about an upcoming educational trip to Nature's Park on **November 12th, 2022**. This trip is designed for **50 students of LL.B., Part III, Semester I** to gain a deeper understanding of environmental law concepts and sustainability practices learned in the classroom

Visit Coordinator: Ms. Apoorwa Pandey, Assistant Professor,
D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)

Time: All students must report the institution campus at **08:00 AM** in their uniforms.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI. Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated : 01/11/2022

FIELD TRIP TO NATURE'S PARK

Class/Semester: - LL.B., Part III, Semester I

Name Of The Students	Signature	Name Of The Students	Signature
Krishna Kumar	K.Kumar	Bhupendra Sahu	Bsahu.
Nukant Kumar Sahu	NSahu.	Dinesh Pandey	Dinesh P.
Ritesh Pandey	Pandey	Ajay Rajak	AR.
Gaurav Kumar	Gaurav Kum	Nohar Das Manikpuri	Nohar Manikpuri
Saraswati Tanti	Swati	Umesh Kumar Kashyap	UKashap
Modabbir Ansari	Ansari.	Purnchand	Purnachand.
Vijay Kumar Sahu	Vijay.	Ramsanehi Kaiwart	Kaiwarta
Ramtila Tandan	Ramtila Tandan.	Roshni Patel	Roshni Patel.
Satyanarayan Rathore	Rathore	Md. Wahid Siddiqui	Siddiqui
Vijay Bharti	Bharti.	Sangeeta	Sangeeta.
Gyanendra Sen	Gyaen.	Sheikh Abdul Kadir	SA.Kadir.
Manish Mishra	Manish.	Sudheshwari Manhar	Sudheshwari.
Surendra Kumar Khare	Kumar	Manish Kumar Agrawal	MK.
Ashish Kumar Gupta	Ashish Gupta	Pawan Kumar Durgam	P. Durgam
Gaurav Lasker	GLasker.	Pradeep Kumar Kashyap	Pradeep Kashyap.
Ishwar Chanda	Ishwar.	Jhumuk Kumar Dewangan	Jhumuk.
Hemant Kumar Kumbhakar	HKumbhakar	Veena Prasad	VeenaPrasad
Jitendra Kumar	Jitendra.	Ratna Sahu	RatnaSahu
Vikash Singh Rajput	SRajput.	Aaket Kumar Jaiswal	AKJaiswal
Sultan Jamshed Ahmed	SultanA.	Raja Ram Kaushik	Rajak.
Ashuraman	Ashu	Pooja Tiwari	Tiwari
Bijay Kumar	Bijay Kumar	Bijendra Gupta	Gupta.
Gaurav Kumar Singh	Gaurav Singh.	Sujay Kumar Joshi	Joshi.
Kanhaiya Verma	KVerma	Anju Kiran Dubey	AnjuDubey.
Ritika Singh	Ritika	Rahul Pathak	RahulPathak.

Visit Coordinator

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

-: श्रद्धावान लभते ज्ञानम :-

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय ग्राम पंचायत खोंधरा

जनपद पंचायत मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सरपंच-
श्रीमती प्रमिला सुरेश महंत

निवास-
ग्राम-खोंधरा, पोस्ट-जेवरा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
MO.- 6267448905 ,9926742823

क्रमांक 8/2022 दिनॉक 12/11/2022

CERTIFICATE OF VISIT TO NATURE'S PARK

This is to certify that the following students from **D.P. Vipra Law College, Bilaspur (C.G.)**, participated in an **educational visit to Nature's Park** on **November 12th, 2022**, with the permission of the Gram Panchayat Khondra.

S.N.	Name Of The Students	S.N.	Name Of The Students
1	Krishna Kumar	26	Bhupendra Sahu
2	Nukant Kumar Sahu	27	Dinesh Pandey
3	Ritesh Pandey	28	Ajay Rajak
4	Gaurav Kumar	29	Nohar Das Manikpuri
5	Saraswati Tanti	30	Umesh Kumar Kashyap
6	Modabbir Ansari	31	Purnchand
7	Vijay Kumar Sahu	32	Ramsanehi Kaiwart
8	Ramtila Tandan	33	Roshni Patel
9	Satyanarayan Rathore	34	Md.Wahid Siddiqui
10	Vijay Bharti	35	Sangeeta
11	Gyanendra Sen	36	Sheikh Abdul Kadir
12	Manish Mishra	37	Sudheshwari Manhar
13	Surendra Kumar Khare	38	Manish Kumar Agrawal
14	Ashish Kumar Gupta	39	Pawan Kumar Durgam
15	Gaurav Lasker	40	Pradeep Kumar Kashyap
16	Ishwar Chanda	41	Jhumuk Kumar Dewangan
17	Hemant Kumar Kumbhakar	42	Veena Prasad
18	Jitendra Kumar	43	Ratna Sahu
19	Vikash Singh Rajput	44	Aaket Kumar Jaiswal
20	Sultan Jamshed Ahmed	45	Raja Ram Kaushik
21	Ashuraman	46	Pooja Tiwari
22	Bijay Kumar	47	Bijendra Gupta
23	Gaurav Kumar Singh	48	Sujay Kumar Joshi
24	Kanhaiya Verma	49	Anju Kiran Dubey
25	Ritika Singh	50	Rahul Pathak

सरपंच
ग्राम पंचायत खोंधरा
जनपद पंचायत मस्तूरी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College Bilaspur
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 13/11/2022

One Page Report for Educational Visit to Nature's Park

Place of Visit	Nature's Park, Khondra
Duration	12th November, 2022
Course/Semester Participated	Students of LL.B. PART-III SEMESTER-I
Object	The primary objective of the visit was to provide students with practical insights into environmental issues and the legal frameworks that govern them. This experience was designed to foster a deeper appreciation for nature and the importance of legal protections for the environment.
Outcome	The visit resulted in several key outcomes: • **Increased Awareness**: Students gained firsthand experience of the local ecosystem, understanding the various flora and fauna, and the environmental challenges they face. • **Legal Insights**: Discussions with park officials provided insights into the legal aspects of wildlife protection and environmental conservation, emphasizing the role of law in safeguarding natural resources. • **Team Building**: The visit encouraged teamwork and collaboration among students, enhancing their interpersonal skills and fostering a spirit of cooperation.
Summary	The trip to Nature's Park was a successful educational endeavour that combined theoretical knowledge with practical application. Students engaged in activities such as guided nature walks, interactive discussions, and group reflections. They observed various species and learned about their habitats, which reinforced their understanding of ecological balance and the necessity of legal frameworks to protect these environments.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College Bilaspur
Approved from BCI. Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in -Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 13/11/2022

Photographs	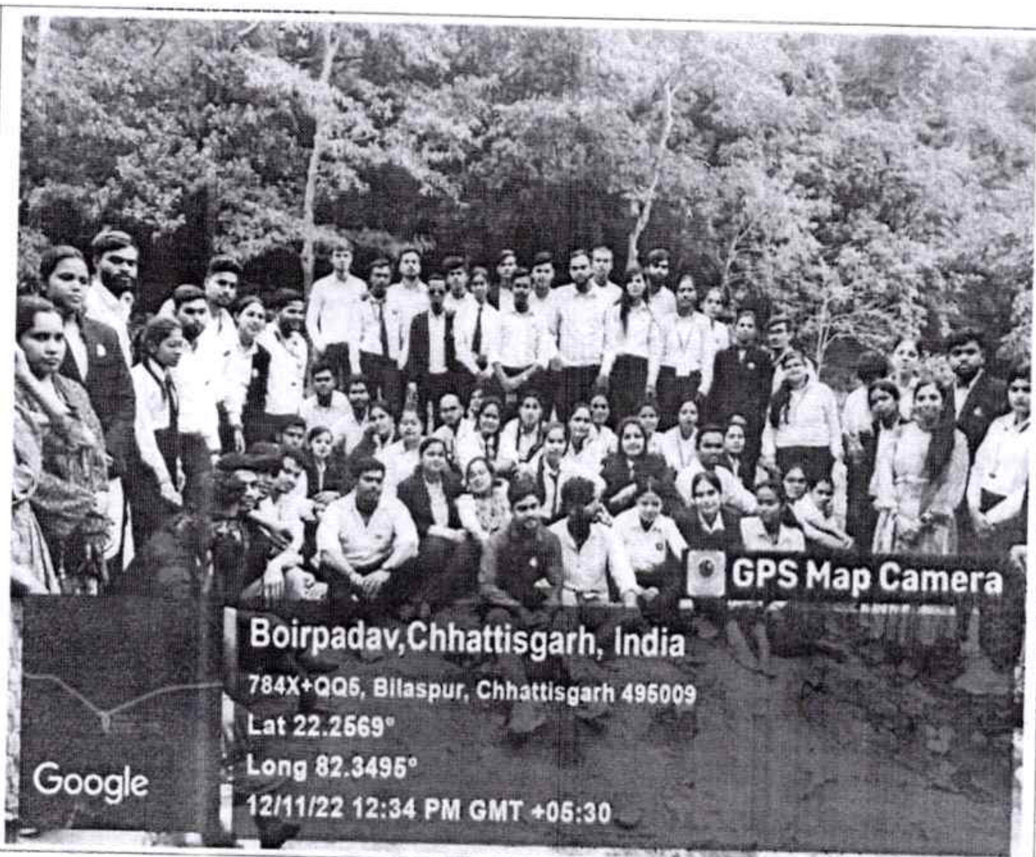

PRINCIPAL
Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता
(हिन्दी भाषा में)

दिनांक–23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

समय प्रातः 9:00 से 05:00

विधि विभाग
शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,रायपुर
संयुक्त तत्वाधान में
सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

विषय –आपराधिक मामले में दांडिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधान

स्थान –शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन शुल्क – *राशि रू. 200/*– प्रति विद्यार्थी
राशि रू. 1000/– प्रति टीम

मेल आईडी – Lawteacher@rediffmail.com

Contact No- 7000051080, 9329281493,
8103534868, 9826312153

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

F:\Moot Court Competition 2023\Brochers_ 15-12-2023.doc

शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

महाविद्यालय की स्थापना कला और वाणिज्य में स्नातक कक्षाओं के साथ 1938 की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, इसने बौद्धिक रूप से सतर्क, नैतिक रूप से ईमानदार, सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर युवा तैयार करने के दृष्टिकोण / मिशन को पूरा किया है। स्थापना के समय रायपुर सी.पी. राज्य का एक भाग था। और बरार. 1956 में यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया जो 2000 में नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी बन गया। 1938 में कॉलेज नांगपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया और अंततः 1965 में पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध हो गया। छत्तीसगढ़ स्नाकोत्तर महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा 13 / 06 / 2008 से जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का नाम दिया गया । इसके संस्थापक प्राचार्य श्री जे. योगानंदम के सम्मान में। 14 दिसंबर 1996 को महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद, 1996 में महाविद्यालय (कला, वाणिज्य और विज्ञान) को राज्य सरकार एवं यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन विधि विभाग को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

1938 में 10 छात्रों से शुरू हुए इस महाविद्यालय में वर्तमान में 4200 से अधिक छात्र हैं। महाविद्यालय के पूर्व छात्रों ने प्रसिद्ध राजनेताओं, संपादकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, प्रशासकों, प्रोफेसरों आदि के रूप में समाज में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G)

संस्था शहर के केंद्र में लगभग 3.5 एकड़. परिसर में स्थित है। महाविद्यालय की एक शानदार इमारत है जो खेल के मैदान के साथ हरे–भरे, पर्यावरण–अनुकूल परिसर में स्थित है। वर्तमान में, महाविद्यालय में 04 यूजी विभाग (कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि), 21 पीजी विभाग, 02 डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, समाजशास्त्र, विधि और भूगोल में 06 अनुसंधान केंद्र हैं।महाविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं के साथ–साथ संदर्भ पुस्तकों का भी अच्छा संग्रह है। इसमें INFLIBNET की एन–लिस्ट कनेक्टिविटी की सुविधा भी है जिसके माध्यम से ई–बुक्स और ई–जर्नल्स तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार, यह छात्रों के साथ–साथ संकाय सदस्यों के लिए अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ावा देता है ।

सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

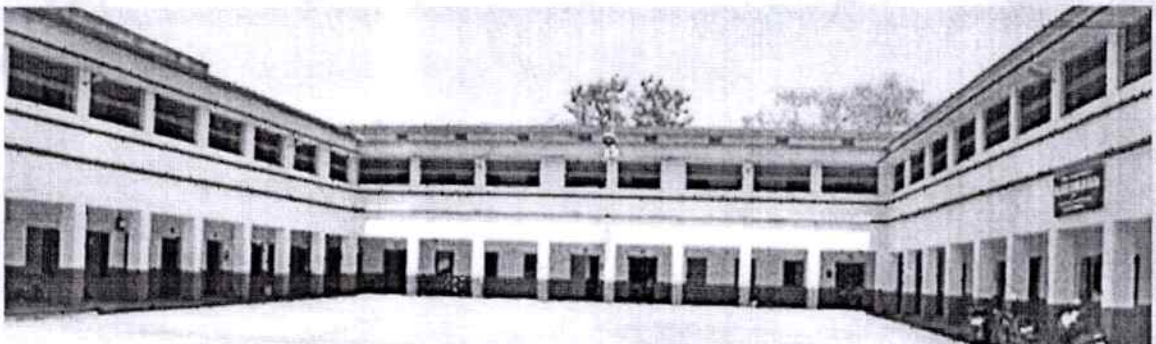

सौ. कुसुम ताई दाबके लॉ कॉलेज छत्तीसगढ़, रायपुर में एक प्रसिद्ध और अग्रणी लॉ कॉलेज है। प्रारंभ में चूंकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र, सीपी और बरार के तत्कालीन हिस्से में कोई लॉ कॉलेज नहीं था, रायपुर–बार के कुछ सदस्य रायपुर में एक लॉ कॉलेज खोलने की इच्छा से प्रेरित थे। श्री पी.भादुड़ी और श्री एम. भादुड़ी के साथ श्री आर.वी. नलगुंडवार, श्री डब्ल्यू.एन. मोकासदार, श्री बी.बी.एल. तिवारी और श्री अहमद अली ने प्रयास किये और "लॉ कॉलेज" अस्तित्व में आया । वर्ष 1948 में छत्तीसगढ़ कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई। हालाँकि, अपना अलग लॉ कॉलेज भवन बनाना एक बड़ी इच्छा थी लेकिन धन ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कॉलेज के लिए भूमि और भवन के लिए संपर्क किए जाने पर श्री राम नारायण दीक्षित, पूर्व मालगुजार रायपुर, छत्तीसगढ़ ने उदारतापूर्वक शहर के मध्य में मौदहापारा, रायपुर में अपनी भूमि कॉलेज के लिए इस

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

इच्छा से दान कर दी कि सोसायटी का नाम उनकी प्यारी बेटी 'दुर्गा बाई'.की स्मृति में रखा जाए। इसलिए "दुर्गा एजुकेशन सोसायटी" नाम अस्तित्व में आई और इस तरह "लॉ कॉलेज" को वर्ष 1950 में विशिष्ट स्वायत्तता और स्वयं के परिसर के साथ शुरू किया गया था। शुरुआत में "लॉ कॉलेज" चार कमरे के अपार्टमेंट में स्थित था; और जल्द ही एक अग्रणी संस्थान बन गया ।

दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी के तहत संचालित लॉ कॉलेज के संस्थापकों के अथक प्रयासों ने आज एक बड़ा आकार ले लिया है और इसे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है।

लॉ कॉलेज जिसे अब सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर के नाम से जाना जाता है। कुसुम ताई दाबके लॉ कॉलेज रायपुर का कुछ प्रसिद्ध अधिवक्ताओं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, शिक्षाविदों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, उद्यमियों आदि में पोषण किया है।

सौ. कुसुम ताई दाबके लॉ कॉलेज में कानून के क्षेत्र में प्रचुर ज्ञान के साथ उच्च योग्य और अनुभवी संकाय हैं; और उनकी नवीन शिक्षण तकनीकों से छात्रों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। लॉ कॉलेज में एक बड़ी पारंपरिक लाइब्रेरी है जिसमें छात्रों के लिए बड़ी संख्या में पाठ्यपुस्तकें और लॉ जर्नल उपलब्ध हैं। कॉलेज न केवल कानून की शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि समाज के जरूरतमंद और वंचित व्यक्तियों को शिक्षित करने और उनकी मदद करने के लिए खेल प्रतियोगिता, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार, व्याख्यान, कानूनी सेवाएं और सामाजिक जागरूकता अभियान जैसी पाठ्येतर गतिविधियां भी चलाता है; और गुणात्मक सुधार के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ अनुभव साझा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक है।

कॉलेज छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री और ई–लाइब्रेरी के साथ स्मार्ट कक्षाओं की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार ढांचागत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और कानूनी शिक्षा के मॉडल केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो रहा है।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

दिनांक 23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

Patron

(Dr. Amitabh Banerjee)
Principal
Gvot.J.Y.CG College, Raipur

Syed Zakir Ali
Principal
SKTD Law College, Raipur

Co-Ordinator

Dr. Vineeta Agrwal
Head of Deptt (Law)
Gvot.J.Y.CG College, Raipur

Dr. Preeti Satpathi
Asstt. Professor
SKTD Law College, Raipur

Organizing Secretary

Dr. D.D. Prusty - Faculty
Dr. Bhoopendra Karwande - Faculty
Dr. Tripti Chandrakar - Faculty
Mr. Sudhanshu Shekhar Shukla – Faculty
Mr.Shekhar Amin- Faculty

Joint Organizing Secretary

Mr. Suresh Kumar - Faculty
Mr. Dinesh Malviya - Faculty
Mr. Sudeep Sarwan – Faculty
Mr. Hemant Nandagauri- Faculty
Mr.R.K. Shukla- Faculty
Mr. Shishir Bhandarkar – Faculty
Mr. Rajeev Sharma- Faculty

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यक्रम विवरण

पंजीयन प्रारंभ	:	16.12.2022
पंजीयन की अंतिम तिथि	:	20.12.2022
लिखित मेमोरियल फाइल जमा करने की अंतिम तिथि	:	21.12.2022
मूटकोर्ट की तिथि	:	23.12.2022

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

दिनांक 23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

समय प्रातः 09:00 से 05:00

स्थान – शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन शुल्क – *राशि रू. 200/–* प्रति छात्र
राशि रू. 1000/– प्रति टीम

मेल आईडी – Lawteacher@rediffmail.com

**Contact No- 7000051080, 9329281493,
8103534868, 9826312153**

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

F:\Moot Court Competition 2023\Brochers_ 15-12-2023.doc

नियम

- "आयोजकगण का अर्थ है मूट कोर्ट कमेटी, विधि विभाग, जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर और सौ.कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर।
- **प्रतियोगिता** का अर्थ है प्रथम राज्य स्तरीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2023 (हिन्दी भाषा में)
- **प्रतिभागी टीम** का अर्थ वह टीम है जिसने प्रतियोगिता के लिए अपना पंजीकरण कराया है।
- **मूलसंस्थान** प्रतिभागी महाविद्यालय (शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, एवं सौ.कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय) को भाग लेने वाली टीम के लिए मूल संस्थान माना जाएगा।
- **मूट कोर्ट** के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और उनसे कोई भी विचलन आयोजकों द्वारा तय किए गए अयोग्यता या अन्य शास्ति को आकर्षित करेगा
- किसी भी संदेह, विवाद, अयोग्यता आदि की स्थिति में आयोजकों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

भाषा–

- मूट कोर्ट प्रतियोगिता की आधिकारिक भाषा हिंदी ही होगी।

ड्रेस कोड–

- प्रतियोगिता के दौरान किसी भी कोर्ट रूम में उपस्थित होने पर प्रतिभागियों को निम्नलिखित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
- छात्राएं सफेद सलवार और कुर्ता या सफेद शर्ट और काली पतलून के साथ काला कोट और काले जूते।
- छात्र सफेद शर्ट, काली पतलून और काली टाई के साथ काला कोट और काले जूते।

पात्रता

- 3 साल / 5 साल की स्नातक एलएलबी की पढ़ाई करने वाले छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- प्रत्येक संस्थान से अधिकतम दो टीमें भाग ले सकती हैं।
- प्रत्येक टीम में दो वक्ता (Speaker) और एक शोधकर्ता (Researcher) शामिल होंगे। टीमों को सूचित करना है कि कौन से सदस्य टीम में वक्ता और शोधकर्ता हैं। आयोजन समिति को आवेदन करने के पश्चात वक्ता तथा शोधकर्ता ने किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मेमोरियल प्रस्तुति –

1. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम को अभियोजन/बचाव पक्ष की ओर से एक लिखित प्रस्तुतिकरण तैयार करना होगा।
2. एक लिखित सबमिशन की पहचान पूरी तरह से टीम को सौंपे गए टीम कोड से की जाएगी। लिखित प्रस्तुतिकरण, किसी भी तरह से, टीम या सदस्यों की पहचान से संबंधित किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं करेगा।
3. प्रत्येक टीम को अपना मेमोरियल पीडीएफ प्रारूप में **मेल के माध्यम से 20 दिसंबर 2023, रात 11:59 बजे तक** भेजना होगा। 1 सॉफ्ट कॉपी के साथ मेमोरियल प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित अनिवार्य शीर्ष शामिल होंगे:

- कवर पृष्ठ
- विषयसूची
- संक्षिप्ताक्षरों की सूची (वर्णमाला क्रम में)
- क्षेत्राधिकार का विवरण
- तथ्यों का विवरण (2 पेज से अधिक नहीं)
- मुद्दों का विवरण
- तर्कों का सारांश
- अन्य तर्क
- अनुतोष/प्रार्थना

• फ़ॉन्ट आकार एवं शैली– कृतिदेव 010

4. **कवर पेज में शामिल होंगे**

- ऊपरी दाएँ कोने में टीम कोड।
- क्षेत्राधिकार का नाम एवं स्थान

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

* संबंधित प्रावधान जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है
* पक्षकारों का नाम और स्थिति
    * ✓ **वह पक्ष जिसके लिए लिखित प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है**
    * ✓ **वह पक्ष जिसकी ओर से मेमोरियल प्रस्तुत किया गया है**

5. आयोजन समिति के पास किसी भी मापदंड का उल्लंघन करने वाले किसी भी मेमोरियल को स्वीकार करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
6. समग्र रूप से मेमोरियल कवर पृष्ठ सहित 50 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए।
7. मेमोरियल को A4 आकार के कागज पर टाइप किया जाएगा, जिसमें सभी तरफ एक–एक इंच का मार्जिन होगा।
8. लाइन स्पेसिंग 1.5 होगी। फुटनोट के लिए, फ़ॉन्ट का आकार 16 होगा और पंक्ति रिक्ति 1.15 होगी।
9. पृष्ठ क्रमांकन प्रत्येक पृष्ठ के नीचे होगा।
10. प्रतिभागी उद्धरण (Citation) की उपयुक्त शैली अपना सकते हैं।
11. अभियोजन / बचाव पक्ष के लिए मेमोरियल का कवर पेज नीला होना चाहिए, जबकि प्रतिवादी / प्रतिवादी के मेमोरियल के लिए, यह लाल होना चाहिए। कवर पेज का रंग अनिवार्य रूप से लाल और नीला (जैसा भी मामला हो) होगा और रंग के किसी अन्य प्रकार का उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. एक बार लिखित प्रस्तुतियाँ जमा हो जाने के बाद, किसी भी संशोधन, पूरक या परिवर्धन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. प्रत्येक याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को 3 हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 23 दिसंबर 2022 को प्रातः 09:00 बजे तक आयोजन स्थल पर पहुंचना होगा।
14. मेमोरियल की हार्डकापी जमा न करने पर टीम को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
15. प्रत्येक टीम को संबंधित राउंड से कम से कम 20 मिनट पहले प्रतिद्वंद्वी टीम की लिखित प्रस्तुति की प्रति प्रदान की जाएगी।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

16. इस प्रतियोगिता के आयोजकों को बिना किसी अनुमति के किसी भी रिपोर्टिंग या संकलन के लिए सभी मेमोरियल का उपयोग करने की अनुमति होगी। सबमिशन को अनुमति माना जाएगा। इसके अलावा, पुरस्कार विजेता मेमोरियल का कॉपीराइट आयोजकों के पास रहेगा।

प्रत्येक मेमोरियल पर कुल 100 अंक अंकित किये जायेंगे। मेमोरियलों के मूल्यांकन के मापदंड निम्नलिखित है :–

S.No.		Marks
1	Knowledge and facts	20
2	Quality and extend of research	20
3	Response to the court question	20
4	Advocacy skills and presentation	20
5	Case Laws	20
Total		100

साहित्यिक चोरी

प्रतिभागियों को समान भाषा का उपयोग करने या दूसरे के मेमोरियल और अन्य स्रोतों से नकल करने से बचना चाहिए। यहां तक कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग उचित उद्धरणों के साथ किया जाना चाहिए। ये नियम मेमोरियल के सभी हिस्सों पर लागू होंगे, न कि केवल दलीलों और प्रार्थना पर। आयोजन समिति मेमोरियल न्यायाधीशों के परामर्श से साहित्यिक चोरी के मामलों के निर्धारण और ऐसी कार्रवाई के लिए दंडात्मक उपायों के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

शास्ति

1. ग़लत फ़ाइल नाम प्रति मेमोरियल– 1 अंक
2. स्मारक को एक फ़ाइल के रूप में प्रस्तुत करने में विफलता प्रति मेमोरियल– 1 अंक
3. पृष्ठ सीमा से अधिक होने पर प्रति पृष्ठ सीमा से अधिक –1 अंक

17. मेमोरियल में अनुभाग को शामिल करने में विफलता प्रति अनुभाग –3 अंक
18. कवर पेज पर आवश्यक जानकारी शामिल करने में विफलता –1 अंक
19. सही रंग कोडिंग का उपयोग करने में विफलता –2 अंक

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रतियोगिता की संरचना

यहां यह निर्दिष्ट करना है कि सभी पंजीकृत टीम की पहले दौर यानी प्रारंभिक दौर में जांच की जाएगी।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता में निम्नलिखित राउंड शामिल होंगे :-

1. **प्रिलिमिनरी राउंड** : प्रत्येक टीम को इस दौर में दोनों पक्षों अर्थात अभियोजन / बचाव पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। मेमोरियल और प्रारंभिक राउंड के अभियोजन / बचाव पक्ष के संचयी स्कोर के आधार पर शीर्ष टीमें फाइनल राउंड के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी।

2. **फाइनल राउंड** प्रीलिमिनरी राउंड की चयनित टीमें फाइनल राउंड में रनर अभियोजन पक्ष एवं रनर बचाव पक्ष निर्णित की जायेंगी तथा विनर अभियोजन पक्ष एवं विनर बचाव पक्ष निर्णित की जायेंगी ।

सर्वश्रेष्ठ चौंपियन छात्र परीक्षण

प्रतियोगिता समापन के बाद 23 दिसंबर 2022 को 20 अंकों के लिए बेस्ट चौंपियन स्टूडेंट टेस्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निर्णय लेने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 15 मिनट है. टेस्ट के लिए प्रश्न मूट समस्या के आधार पर तैयार किए जाएंगे। परीक्षा सभी पंजीकृत छात्रों के लिए खुली है।

विविध–

- **आवास और भोजन** आयोजकों द्वारा आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी। स्वल्पाहार की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जायेगी।
- **यात्रा विवरण** टीमों से अनुरोध है कि वे आयोजकों को अपनी यात्रा योजना के बारे में सूचित करें। दी गई योजना में किसी भी बदलाव के बारे में आयोजकों को पहले ही सूचित किया जाना चाहिए।
- **(आयोजकों द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।)**
- **अनुशासन** जब अदालत का सत्र चल रहा हो तो लैपटॉप और मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। प्रतिभागियों से परिसर में अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और टीमों को आगे की भागीदारी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद प्रतिभागियों को इधर–उधर भटकना नहीं है। कॉलेज परिसर में धूम्रपान और शराब पीना सख्त वर्जित है।

- **दिशानिर्देशों की व्याख्या** सभी व्याख्याएं आयोजकों और संस्थान के पूर्ण विवेक पर हैं। आयोजकों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी भाग लेने वाली टीमों पर बाध्यकारी होगा।
- **स्पष्टीकरण** किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में ईमेल या नीचे दिए गए संपर्क नंबरों के माध्यम से संचार मांगा जा सकता है –

Email: lawteacher@rediffmail.com

Contact No- 7000051080, 9329281493, 8103534868, 9826312153

PRIZE

1. BEST MOOTER- FIRST
2. BEST MOOTER – SECOND
3. BEST SPEAKER- FIRST
4. BEST SPEAKER- SECOND
5. BEST RESEARCHER – 1ST
6. BEST RESEARCHER- 2ND
7. WINNER TEAM-
   PROSECUTION
   DEFENDANT
8. RUNNER UP-
   PROSECUTION
   DEFENDANT
9. BEST CHAMPION STUDENT - 1ST
   BEST CHAMPION STUDENT - 2ND
   BEST CHAMPION STUDENT - 3RD
10. BEST MEMORIAL- 1ST
11. BEST MEMORIAL- 2ND
12. CONSOLATION PRIZE- 1ST
    CONSOLATION PRIZE-2ND
    CONSOLATION PRIZE- 3RD

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता
(हिन्दी भाषा में)

दिनांक–23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

समय प्रात: 9:00 से 05:00

PROGRAMME SCHEDULE

S. N	TIME	PARTICULARS	MEMBERS
1	9.00 AM	REGISTRATION	MR DINESH MALVIYA AND MR SURESH KUMAR
2	9.15 AM	SUBMISSION OF MEMORIALS IN HARD COPY	DR BHOOPENDRA KARWANDE, DR PREETI SATPATHI & DR TRIPTI CHANDRAKAR
3	10.00 AM TO12.00 PM	PRELIMINARY ROUND	COURT 1- SAYED ZAKIR ALI & DR BHOOPENDRA KARWANDE
			COURT2- MR SURESH KUMAR & MR DINESH MALVIYA
			COURT 3- MR SUDEEP SARWAN & MR HEMANT NANDAGAURI
			COURT 4- DR PREETI SATPATHI & DR TRIPTI CHANDRAKAR
4	12.00 PM TO 1.00 PM	SNACKS BREAK	
5	1.00 PM TO 3.00 PM	INAUGURAL CEREMONY AND FINAL ROUND	JUDGES
6	3.00 PM TO 3.30 PM	BEST CHAMPION STUDENT TEST	DR PREETI SATPATHI, DR BHOOPENDRA KARWANDE DR TRIPTI CHANDRAKAR MR SUDEEP SARWAN & MR HEMANT NANDAGAURI
7	3.30 PM TO 4.30 PM	PRIZE DISTRIBUTION AND CLOSING CEREMONY	

F:\Moot Court Competition 2023\Brochers_15-12-2023.doc

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

MOOT PROBLEM

1. दिनांक 30/05/2012 को सिविल अस्पताल रतलाम की ओर से डॉ.रविन्द्र गवले ने आरक्षी केन्द्र, स्टेशन रोड चौकी को सूचना दी । चौकी पर पदस्थ आरक्षक मुकेश ने सूचना प्राप्त की । सूचना में बताया गया कि रूपचंद पिता तेजसिंह खराडी को मृत अवस्था में अस्पताल में प्रस्तुत किया गया । जिसका शव पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है तथा उसके संदर्भ में अकाल मृत्यु सूचना प्रकरण कमांक 08 दर्ज की गई है ।
2. इसके पश्चात शव की पंचनामा कार्यवाही की गई, जिसमे पंचों ने बताया कि मृतक रूपचंद के शरीर पर चोट के निशान थे। साक्षी पर्तू की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा बनाया गया तथा घटना स्थल से मिट्टी और खून के निशान प्राप्त किये गये ।
3. मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि उसके बायें गाल पर खरोच, बाई आंख पर खून के थक्के, बाई अग्रभुजा पर सूजन, खोपड़ी पर खून जमा हुआ और अस्थि भंग पाया गया । मृतक के फेफड़े, लीवर, किडनी और छोटी आंत, बड़ी आंत एवं उसमें पाये गये अवयवों को एक प्लास्टि जार में पैक करके कॉस्टेबल को सुपुर्द किया गया ।
4. रिपोर्ट में अंतिम रूप से पाया गया कि मृत्यु के पूर्व कारित चोट के कारण, कोमा (COMA) और शॉक (SHOCK) की वजह से उसकी मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 12 घण्टे पहले हुई थी ।
5. अन्वेषण के दौरान साक्षी कमांक 01 हीरालाल ने यह जानकारी दी कि 29/05/2012 (मृत्यु से एक दिन पहले) जब वो जनपद पंचायत के सामने से गुजर रहा था, तब जनपद पंचायत के सामने पूर्व सरपंच रूपचंद खड़ा था। उसके पास मोटर साइकिल थी तथा उसके पास मईला एवं मईला का पिता सेवला खड़ा था और दोनों वहां खड़े होकर बीयर पी रहे थे, तब उन दोनों ने साक्षी कमांक 01 हीरालाल को भी अपने पास बुलाया तथा खुद और छगन वहां से चले गये । रूपचंद और मईला वहां खड़े रहें । हीरालाल ने यह भी कहा कि मृतक रूपचंद को दो बार किसी व्यक्ति का फोन आया था जिससे हम लोगों ने अलग जाकर बात की ।
6. अन्वेषण के दौरान 12/06/2012 को पुलिस ने तीन लोगों मईला, रमेश एवं प्रभु को गिरफ्तार किया ।
7. प्रभु ने घटना स्थल पर प्रयोग होने वाले लठ की जानकारी दी तथा उस जानकारी के आधार पर लठ जब्त की गई ।
8. अभियुक्त रमेश ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के बारे में जानकारी दी तथा उस जानकारी के आधार पर कुल्हाड़ी जब्त की गई ।
9. पुलिस को जानकारी में पता चला की मईला और मृतक रूपचंद की पुरानी चुनावी रंजिश थी ।

अपने तर्कों को दस्तावेज एवं संबंधित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

ध्यान दें –

1. प्रत्येक टीम को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से मानक विधिक प्रारूप में लिखित दस्तावेज (Written Submission/Memorial) तैयार करना होगा ।
2. मेमोरियल में ग्रीन पेपर का प्रयोग करना अनिवार्य है ।
3. प्रत्येक टीम को बहस एवं सभी दस्तावेज की पूर्ण तैयारी करनी होगी ।
4. अभियोजन पक्ष द्वारा FIR, Chargsheet, Cr. P.C. के अनुरूप समस्त बयान, मेमो, दस्तावेज, पीएम रिपोर्ट, इत्यादि भी तैयार करने होंगे ।
5. अभियोजन करते समय तीनों अरोपियों को अभियोजित किया जाना है ।
6. बचाव करते समय टीम का एक सदस्य एक ही आरोपी की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो ।
7. हर अरोपी की ओर से पृथक सदस्य अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत है ।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

दिनांक–23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

समय प्रातः 9:00 से 05:00

विधि विभाग

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,रायपुर

संयुक्त तत्वाधान में

सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

Registration Form

Name (Capital)	:	....
Address	:	....
Class	:	....
College Name	:	....
		....
Mobile No	:	....
E-mail ID	:	....

Date-

Signature-

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

दिनांक–23 दिसंबर 2022 (शनिवार)

समय प्रातः 9:00 से 05:00

विधि विभाग

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,रायपुर

संयुक्त तत्वाधान में

सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

Receipt of Registration

Receipt and amount of Rs. ....

(In words) ....

Mr./Mrs./Ms..Class................................

Name of the College ....

For the Moot Court Competition

Signature of Receiving Authority

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर एवं सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में

विषय– हत्या के मामलों में दांडिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधान

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. / डॉ. PRAKASH PANDEY D. P. Vipra Law College Bilaspur दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे ।

इस प्रतियोगिता में इन्होंने Researcher / Best Memorial III स्थान प्राप्त किया ।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है ।

(डॉ.अमिताभ बैनर्जी) प्राचार्य शास.जे.यो. छ.ग. महा.	(डॉ.विनीता अग्रवाल) विभागाध्यक्ष शास.जे.यो. छ.ग. महा.	(डॉ.प्रीति सतपथी) सहायक प्राध्यापक एस.के.टी.डी विधि महा.	(सैय्यद जाकिर अली) प्राचार्य एस.के.टी.डी विधि महा.

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर एवं सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में

विषय– हत्या के मामलों में दांडिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधान

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
(C.G.)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. / डॉ. AKASH MISHRA D.P. Vipra law College Bilaspur दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रुप में उपस्थित रहे ।

इस प्रतियोगिता में इन्होंने Researcher / Consolation Preliminary round स्थान प्राप्त किया ।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है ।

(डॉ.अमिताभ बैनर्जी) प्राचार्य शास.जे.यो. छ.ग. महा.	(डॉ.विनीता अग्रवाल) विभागाध्यक्ष शास.जे.यो. छ.ग. महा.	(डॉ.प्रीति सतपथी) सहायक प्राध्यापक एस.के.टी.डी विधि महा.	(सैय्यद जाकिर अली) प्राचार्य एस.के.टी.डी विधि महा.

प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता

(हिन्दी भाषा में)

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर एवं सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में

विषय– हत्या के मामलों में दांडिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधान

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. / डॉ. ADITYANSH SHARMA D. P. Vipra law college Bilaspur दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय मूटकोर्ट प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रुप में उपस्थित रहे ।

इस प्रतियोगिता में इन्होंने Speaker / consolation Priliminary Round स्थान प्राप्त किया ।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है ।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(डॉ.अमिताभ बैनर्जी)	(डॉ.विनीता अग्रवाल)	(डॉ.प्रीति सतपथी)	(सैय्यद जाकिर अली)
प्राचार्य	विभागाध्यक्ष	सहायक प्राध्यापक	प्राचार्य
शास.जे.यो. छ.ग. महा.	शास.जे.यो. छ.ग. महा.	एस.के.टी.डी विधि महा.	एस.के.टी.डी विधि महा.

OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 24/12/2022

One Page Report for Moot Court at Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College

Place of Moot Court Competition	Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur
Duration	23rd December, 2022
Course/Semester Participated	Students of B.A.LL.B. VIII SEMESTER
Object	The primary objective of the moot court was to simulate real court proceedings, allowing students to engage in legal argumentation and develop their advocacy skills. Participants were tasked with preparing legal briefs and presenting arguments on a specific case, thereby gaining insights into the intricacies of legal reasoning, case law, and courtroom decorum.
Outcome	The moot court concluded successfully, with participants showcasing impressive legal acumen and public speaking skills. Judges, consisting of faculty members and legal professionals, provided constructive feedback, highlighting the strengths and areas for improvement in each team's performance. The event not only bolstered the students' confidence but also encouraged them to pursue further involvement in legal competitions and practical experiences.
Summary	The moot court at Government J. Yoganandam Chhattisgarh College served as a pivotal educational experience for law students. It facilitated a platform for them to apply theoretical knowledge in a practical setting, thereby bridging the gap between academia and real-world legal practice. The event underscored the importance of such initiatives in shaping competent legal professionals equipped to navigate the complexities of the legal system.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in -Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 24/12/2022

Photographs

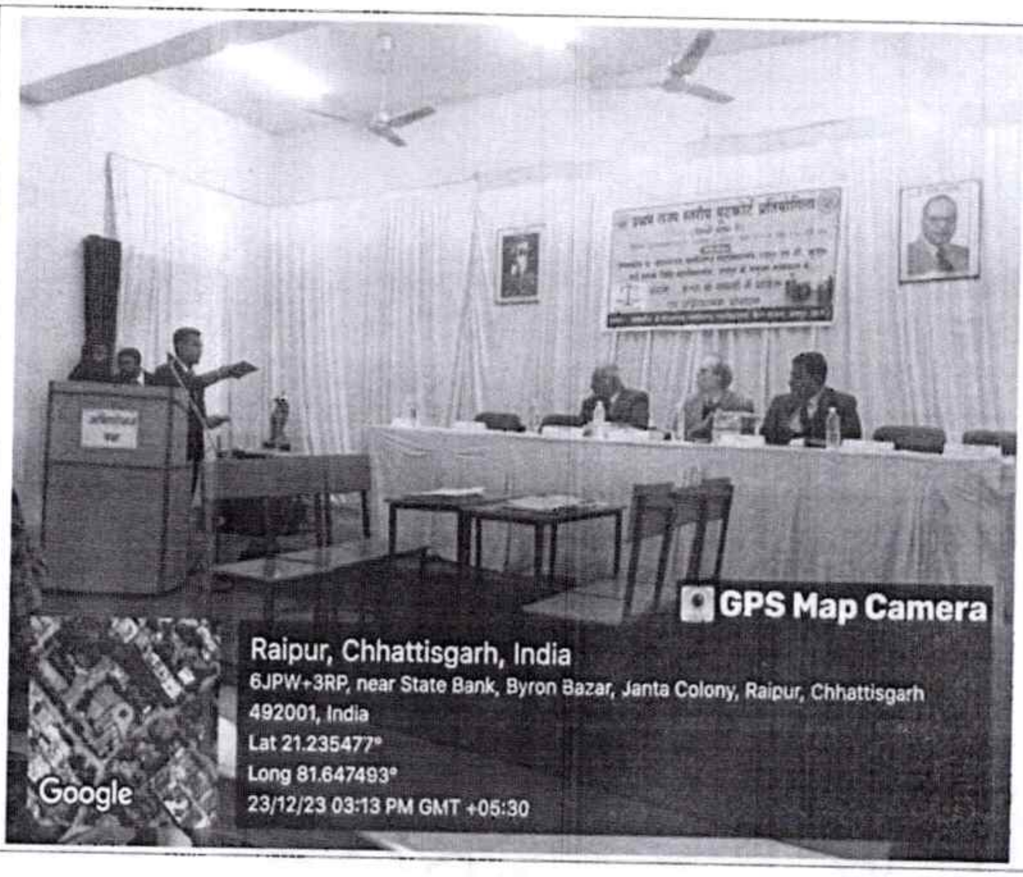

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

FIRST STATE LEVEL MOOT COMPETITION

(IN HINDI LANGUAGE)

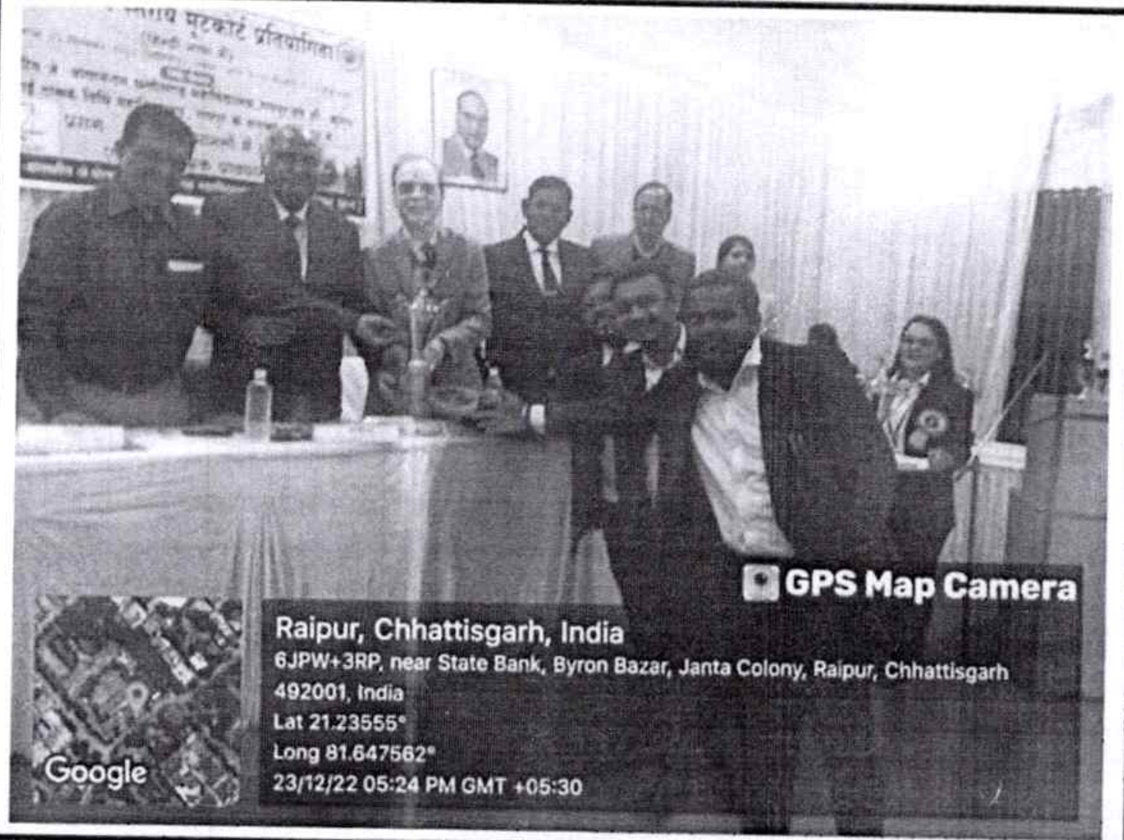

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)